

60वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-16
60th Annual Report 2015-16

अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	:	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	:	2
सूचना/Notice	:	6
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	:	7
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	:	43
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	:	70
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	:	71
तुलन-पत्र/Balance Sheet	:	72
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	:	75
अनुसूची 2 से 21/Note 2 to 21	:	77
लेखा विधि नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ जो लेखों का भाग हैं (अनुसूची : 1)	:	99
Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts (Note : 1)	:	99
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	:	114



निदेशक मंडल

श्री सुशील कुमार लोहानी, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(01.07.2014 से)

डा. कविता गोट्रु
निदेशक (एफ.ए.)
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(30.09.2016 से)

श्री डी.पी. श्रीवास्तव
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(14.01.2016 से)

श्री अनिल कुमार वी. पाटिल
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(08.09.2016 से)

श्री प्रभास कुमार
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(19.07.2016 से 30.09.2016 तक)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Sushil Kumar Lohani, IAS
Joint Secretary,
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman &
Managing Director
(w.e.f.01.07.2014)

Dr. Kavitha Gotru
Director (FA),
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f.30.09.2016)

Shri D.P. Srivastava
Director,
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f.14.01.2016)

Shri Anilkumar V. Patil
Director,
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f.08.09.2016)

Shri Prabhas Kumar
Director,
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(From 19.07.2016 to 30.09.2016)



श्री सुशील पाल
निदेशक (एफ.ए.)
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(18.07.2013 से 19.07.2016)

श्री एस. आनंदन,
उप सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(8.8.2011 से 14.01.2016 तक)

श्री विजय रंजन सिंह,
निदेशक (एफ),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(27.08.2012 से 08.09.2016 तक)

प्रमुख कार्यपालक

मेजर विक्रम सिंह राणा
निदेशक (परिचालन)
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(04.12.2014 से)

श्रीमती सिओन कोंगारी
सलाहकार

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी

Shri Sushil Pal
Director (FA),
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(From 18.07.2013 to 19.07.2016)

Shri S. Anandan
Dy. Secretary,
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(From 8.8.2011 to 14.01.2016)

Shri Vijay Ranjan Singh
Director (F)
Dept. of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(From 27.08.2012 to 08.09.2016)

PRINCIPAL EXECUTIVES

Major Vikram Singh Rana
Director (Movement)
Dept. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f.04.12.2014)

Smt. Sion Kongari
Advisor

Shri K.L. Rao
Officer on Special Duty



मुख्य कार्यपालक - एकक

श्री इरफान अहमद
कार्यवाहक महाप्रबंधक, तालचर

श्री डी.डी. अधिकारी
प्रभारी, सिन्दरी

श्री चन्द्र प्रताप
प्रभारी, गोरखपुर

श्रीमती एम. एन. मलेश्वरी
प्रभारी, रामागुण्डम

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

Shri Irfan Ahmed
Actg. General Manager, Talcher

Shri D.D. Adhikary
Incharge, Sindri

Shri Chandra Pratap
Incharge, Gorakhpur

Smt. M.N. Maleshwari
Incharge, Ramagundam

Shri R.L. Deshbhratar,
Incharge, Korba

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	-	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	-	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	-	तेलंगाना
तालचर एकक	-	ओडिशा
कोरबा प्रभाग	-	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	-	नोएडा (यू.पी.)

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	-	Jharkhand
Gorakhpur Unit	-	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	-	Telangana
Talcher Unit	-	Odisha
Korba Division	-	Chhattisgarh
Central Office	-	Noida (U.P.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-III
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

REGISTERED OFFICE

7, Intitutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003



**The Fertilizer
Corporation of
India Limited**

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस.पी. पुरी एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ इण्डया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मै. जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मैसर्स हम्मूराबी एण्ड सोलोमोन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201301

AUDITORS

M/s. S.P. Puri & Co.,
Chartered Accountants, New Delhi

BANKERS

State Bank of Patiala
State Bank of India
Union Bank of India
State Bank of Hyderabad

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi
M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi
M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi
M/s Hammurabi & Solomon, Advocates, New Delhi



सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 60वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, दिसम्बर 8, 2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे, कानेंस रूम, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

- “31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।”
- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-
“भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित किया जाता है।”

बोर्ड के आदेश से

ह०/-

(डा. कविता गोट्रु)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : नवम्बर 29, 2016

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा अपने किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,
सभी शेयरधारी

प्रतिलिपि :-

- मैसर्स एस.पी. पुरी एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार,
4/18, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
- अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Wednesday, 8th December, 2016 at 11.30 AM at the Conference Room, Department of Fertilizers, Shashtri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business:-

- “To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2016”.
- To consider, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

“Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2016-2017 be fixed by the Board of Directors of the Corporation.”

By Order of the Board

Sd/-
(Dr. Kavitha Gotru)
Director (Finance)

Dated : November 29, 2016

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A Proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:

All Shareholders.

Copy to:-

- M/s. S.P. Puri & Co.,
Chartered Accountants,
4/18, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002
- Chairman, Audit Committee.



निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2014-15 के 190.98 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2015-2016 में 8.65 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्रोत

3.1 शेयर पूँजी

एफ सी आई एल की अधिदत्त एवं प्रदत पूँजी 750.92 करोड़ रुपये है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 की स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड रुपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रुपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमाशुल्क, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 8.33 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 60th Annual Report of the Company together with the audited accounts and the auditors' report for the year ended 31st March 2016.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company incurred a net Profit of Rs. 8.65 Crore in 2015-2016 as against a net profit of Rs.190.98 crore during 2014-2015.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA dated 9.5.2013, Government of India Loan amounting to Rs. 2739.37 Crore and Interest on GOI Loan amounting to Rs. 7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs. 8.33 crore by way of Service tax, Sales tax, Excise duty, Income tax, Customs duty, Electricity duty to the Central and State exchequers during the year.

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of



के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ है।

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई.ए./कैबिनेट द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, वर्तमान में चार इकाइयों का पुनरुज्जीवन हो रहा है।

7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और उन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। वहाँ कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

8.0 कम्पनी का पुनरुज्जीवन

बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के संस्तुति के कारण देश में यूरिया की माँग व पूर्ति में भारी अंतर को देखते हुये और कम्पनी के सभी एककों में उपलब्ध विकसित आधारभूत संरचना को देखते हुए भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि बन्द पड़े उर्वरक एककों को पुनरुज्जीवित करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, जहाँ कि कम्पनी के मामले की सुनवाई हो रही थी, ने भारत

the plants during the year, due to the decision of the GOI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Govt's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activities are restricted to security arrangement and settlement of dues of employees. However, consequent upon the decision of CCEA/Cabinet, regarding revival of closed units of FCIL, four of the units are currently under revival.

7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi was closed and assets of these offices was disposed/ sent to other offices/ units. There is no marketing activity.

8.0 REVIVAL OF THE COMPANY

Consequent to the recommendation of winding-up of the company by BIFR vide order dated 02.04.2004, considering the large demand supply gap of Urea in the country, and the availability of fully developed infrastructure in all the units of the Company Government of India felt that it is essential to revive the closed fertilizer Units. The Hon'ble High Court of Delhi, where the

सरकार के निर्णय को सराहते हुये कहा कि बन्द पड़े खाद कारखानों के तकनीकी-आर्थिक संभावना का अध्ययन करवाया जाये। पी.डी.आई.एल. ने इस संबंध में अध्ययन करके अपनी संभावना रिपोर्ट दे दी थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.08.2006 को संज्ञान में लिया था।

- पूर्णतः उपलब्ध विकसित भूमि, जल, विद्युत तथा सभी एकाकों में उपलब्ध विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुये एवं इसके अतिरिक्त देश के अंदर यूरिया की भारी माँग को पूरा करने के लिये एवं आयात की भारी कीमत को देखते हुये भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में यह निर्णय लिया:

“गैस की उपलब्धता की पुष्टि होने की स्थिति में “सिद्धान्त रूप में” निर्णय लिया कि एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के पुनरुज्जीवन के संभाव्यता की जाँच की जाये।”

- भारत सरकार ने अक्टूबर 2008 में एफ.सी.आई.एल./एच.एफ.सी.एल. के बन्द पड़े सभी एकाकों के पुनरुज्जीवन की सभी संभावनाओं को जाँचने के लिये और भारत सरकार के विचारार्थ उचित सुझाव देने के लिये सचिवों की अधिकारिक समिति (ई.सी.ओ.एस.) का गठन किया था।
- भारत सरकार ने वर्ष 2012 में यूरिया सैक्टर के लिये नई निवेश नीति को मंजूरी दी और आगे चलकर वर्ष 2015 में संशोधन किया।
- कैबिनेट के 13.07.2016 के परिशिष्ट के अनुसार पुनर्जीवन के कार्य का अनुवीक्षण करने के लिये एक

Company case was being examined, was apprised of the decision of Government of India to conduct a techno-economic feasibility study of the closed fertilizer plants. PDIL studied and gave its feasibility report, which was taken in cognizance by High Court of Delhi on 11.08.2006.

- Considering the availability of fully developed land along with water & power connectivity, huge infrastructure in all the units, apart from increase in domestic demand of urea and high cost of import to meet the domestic demand, Government of India decided in April 2007 as under:

“decided ‘in principle’ to examine the feasibility of reviving FCIL & HFCL, subject to the confirmed availability of gas.”

- Government of India constituted Empowered Committee of Secretaries (ECOS) in October 2008 with the mandate of evaluate all options of revival of closed units of FCIL/HFCL and to make suitable recommendations for consideration of the Government.
- Government of India approved new Investment policy for the Urea Sector in the year 2012 and subsequently amended in the year 2015.
- An Inter Ministerial Committee (IMC) has been constituted as appended by Cabinet



इन्टर मिनिस्टीरियल कमेटी (आई.एम.सी.) का गठन किया गया है।

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने पुनर्वास योजना प्रारूप (डी.आर.एस.) और पुनरुज्जीवन के अन्य पारामीटर को 4.8.2011 को अपनी स्वीकृति दे दी तथा इसे आगे कार्यान्वित करने के लिये ई.सी.ओ.एस. को प्राधिकृत किया है।

साथ ही ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के संबंध में 9.5.2013 को अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि निवल पूँजी को धनात्मक बनाया जा सके जिससे सी.सी.ई.ए. की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कम्पनी को पुनरुज्जीवित किया जा सके।

बी.आई.एफ.आर. की परिसीमा से बाहर

कम्पनी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों को बन्द करते समय सी.सी.ई.ए. के निर्णयों को लागू किया गया था। वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की हुई प्रति और लेखा परीक्षकों का धनात्मक निवल पूँजी का प्रमाण पत्र बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित किया गया था। बी.आई.एफ.आर. ने 27.6.2013 को सुनवाई में एफ.सी.आई.एल. को बी.आई.एफ.आर. की परिसीमा से बाहर करने का आदेश दिया है।

पुनरुज्जीवन की वर्तमान स्थिति

तलचर

- सी.सी.ई.ए. की 4.8.2011 की मंजूरी के अनुसार तलचर एकक को 'नोमिनेशन पद्धति' से सार्वजनिक उपक्रमों (आर.सी.एफ., गेल और सी.आई.एल.) के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है।

on 13.07.2016 to monitor the progress of revival.

CCEA Approval of ECOS recommendation

On the recommendations of ECOS, CCEA approved on 4.8.2011 the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and the other parameters of revival and authorized ECOS for taking forward the implementation process.

Subsequently, on the recommendations of ECOS, CCEA approved on 9.5.2013 the waiver of Gol loan and interest to make FCIL a positive net worth Company to enable the revival as approved by CCEA earlier.

Deregistration from BIFR

While closing the Annual Account of the Company for the year 2012-13, the decisions of CCEA were implemented. The audited copy of the Annual Accounts of 2012-13 along with certificate of positive net worth from the Auditors was submitted to BIFR. The Hon'ble BIFR in their hearing held on 27.6.2013 ordered for deregistration of FCIL from BIFR.

Present Status of revival

Talcher

- Talchar unit is being revived by PSU's (RCF, GAIL & CIL) through "nomination route" as approved by CCEA on 04.08.2011.



3. तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का निर्माण किया गया है।
3. आर.सी.एफ. ने अमोनिया और यूरिया प्लांटों के लिए एल.एस.टी.के. के निविदा को अन्तिम रूप देने के लिए पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया गया है। गेल द्वारा कोल गैसीफिकेशन तकनीक को चुनने के कारण अन्तिम रूप देने का कार्य रुका हुआ है।
4. गेल ने कोल गैसीफिकेशन तकनीक के चुनाव को अंतिम रूप देने के लिए पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया गया है। उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
5. आर.सी.एफ. ने पार्यावरण एवं वन मंत्रालय से तलचर में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाने के लिये टी.ओ.आर. अनुमति प्राप्त कर ली है। ई.आई.ए. और ई.एम.पी. अध्ययन प्रगति में है।

रामागुण्डम

1. सी.सी.ई.ए. की मंजूरी के अनुसार रामागुण्डम एकक को नोमिनेशन पद्धति से सार्वजनिक उपकरणों (ई.आई.एल. और एन.एफ.एल.) के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है।
2. रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का निर्माण किया गया है।
3. संयुक्त उद्यम द्वारा अमोनिया और यूरिया के लिये तकनीक का निर्धारण कर लिया गया है।
4. परियोजना के पूर्व के कार्यकलापों के साथ ही परियोजना के लिये पार्यावरण एवं वन मंत्रालय से पार्यावरण अनुमति प्राप्त कर ली है।

2. A JV Company namely Talcher Fertilizers Limited (TFL) has been formed.
3. RCF has engaged PDIL for finalization of LSTK tenders for Ammonia & Urea. Finalisation is held up for selection of coal gasification technology by GAIL.
4. GAIL has engaged PDIL for finalizing the selection of coal gasification technology. The same is under finalization.
5. RCF has obtained TOR clearance from MoEF for the coal based fertilizer plant at Talcher. EIA & EMP studies are in progress.

Ramagundam

1. Ramagundam Unit is being revived by PSU's (EIL & NFL) through "nomination route" as approved by CCEA on 04.08.2011.
2. The Joint Venture Company namely Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL) has been formed.
3. Technology for Ammonia & Urea has been finalized by the JV.
4. Apart from the pre-project activities environment clearance for the project has been obtained from Ministry of Environment & Forest (MoEF).



5. परियोजना के लिये जीरो दिनांक 25.09.2015 है।

गोरखपुर और सिन्दरी एकक

1. गोरखपुर और सिन्दरी एककों को नोमिनेशन पद्धति से सार्वजनिक उपक्रमों (एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. और आई.ओ.सी.) के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिये 13.07.2016 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इन्टर मिनिस्टीरियल कमेटी (आई.एम.सी.) का गठन किया है।
2. संयुक्त उद्यम कम्पनी ने परियोजना के लिये पी.डी.आई.एल. को परामर्शदाता नियुक्त किया है।

9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2015-2016 में इसकी गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग माना जाता है। मेजर विक्रम सिंह राणा, निदेशक (गतिविधि), उर्वरक विभाग, एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। वे कम्पनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये विभिन्न रोकथाम के उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का कार्य करता है।

10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो

5. Zero date for the Project is 25.09.2015.

Gorakhpur & Sindri Units

1. Cabinet on 13.07.2016 approved revival of Gorakhpur & Sindri Units through nomination route by PSU's (NTPC, CIL and IOC) and constituted an Inter Ministerial Committee (IMC) .
2. PDIL has been appointed as Consultant for the project by the JV Company.

9.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2015-16

The vigilance department is considered to be an integral part of the Management function. Major Vikram Singh Rana, Director (Movement), Department of Fertilizers is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. He provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meagre staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programme and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi.

जाने के कारण ये गतिविधियां सीमित हो गई हैं।

11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

11.1 31.3.2016 को कर्मचारियों की संख्या 9 है। ये कर्मचारी निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गये हैं। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

14.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

However due to closure of the company, these activities are kept limited.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT ETC.

11.1 The staff strength as on 31.3.2016 is 9. The employees are retained on the rolls to look after the safety and security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

12.0 EMPLOYMENT OF SCs / STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

13.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was nil during the year.

14.0 STATUTORY AUDITORS

The statutory auditors of your company are appointed by the Comptroller and Auditor



वित्त वर्ष 2015-16 के लिये मै. एस.पी. पुरी एण्ड कम्पनी को संविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

15.0 संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये कम्पनी के लेखों पर संविधिक लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट दे दी है।

16.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष 2015-16 के लिये सी.ए.जी. की टिप्पणी अलग से संलग्न की जा रही है।

17.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

17.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि:-

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

General of India. M/s S.P. Puri & Company were appointed as statutory auditors for the financial year 2015-16.

15.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT

The statutory auditors of the company have given a report on the accounts of the company for the financial year 2015-16.

16.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Accounts have been submitted to Comptroller and Auditor General of India, for review under Sec. 619(4) of the Companies Act 1956. Comments of CAG for the year 2015-16 is placed separately.

17.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

17.1 Pursuant to the requirement under section 217(2AA) of the Companies Act 1956, with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:-

That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March 2016; the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.



कम्पनी की परिस्थिति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं को पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखने में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है।

वित्त वर्ष 2015-16 के लेखों को “चालू उद्यम” के आधार पर बनाया गया है।

18.0 निदेशक मंडल

		से	तक
1.	श्री सुशील कुमार लोहानी, अ.प्र.नि., आई.ए.एस. (डी.आई.एन.-06912948)	1.7.2014	अब तक
2.	श्री सुशील पाल निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-06608642)	18.7.2013	19.7.2016
3.	श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (डी.आई.एन.-06386038)	27.8.2012	8.9.2016
4.	श्री एस. आनन्दन, निदेशक (डी.आई.एन.-03599697)	8.8.2011	14.1.2016
5.	श्री डी.पी. श्रीवास्तव निदेशक (डी.आई.एन.-06433221)	14.1.2016	अब तक
6.	श्री प्रभास कुमार, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07578042)	19.7.2016	30.9.2016
7.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	8.9.2016	अब तक
8.	डा. कविता गोट्रू, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07639190)	30.09.2016	अब तक

18.1 वित्तीय वर्ष 2015-16 में निदेशक मंडल की 6 तथा लेखा परीक्षा समिति की 3 बैठकें हुई। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

The accounts for the financial year 2015-16 have been prepared on “Going Concern” basis.

18.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Sushil Kumar Lohani, C&MD, IAS (DIN-06912948)	1.7.2014	Till date
2. Shri Sushil Pal, Director (Finance) (DIN-06608642)	18.07.2013	19.07.2016
3. Shri Vijay Ranjan Singh, Director (DIN- 06386038)	27.08.2012	08.09.2016
4. Shri S. Anandan, Director (DIN- 03599697)	08.08.2011	14.01.2016
5. Shri D.P. Srivastava, Director (DIN-06433221)	14.01.2016	Till date
6. Shri Prabhas Kumar, Director (Finance) (DIN-07578042)	19.07.2016	30.09.2016
7. Shri Anil Kumar V. Patil, Director (DIN-07039255)	08.09.2016	Till Date
8. Dr. Kavitha Gotru, Director (Finance) (DIN-07639190)	30.09.2016	Till date

18.1 There were 6 meetings of Board of Directors and 3 meetings of Audit Committee during the financial year 2015-16. The details of meetings that the Directors have attended are given below:



नाम	निदेशक मंडल की बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की बैठकें
1. श्री सुशील कुमार लोहानी (डी.आई.एन.-06912948)	6	-
2. श्री सुशील पाल (डी.आई.एन.-06608642)	6	1
3. श्री विजय रंजन सिंह (डी.आई.एन.-06386038)	3	1
4. श्री एस. आनंदन (डी.आई.एन.-03599697)	-	-
5. श्री डी.पी. श्रीवास्तव (डी.आई.एन.-06433221)	1	-

19.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 292 क “लेखा परीक्षा समिति” जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 22.09.2016 को परिचालन द्वारा लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. श्री डी.पी. श्रीवास्तव, निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री प्रभास कुमार निदेशक (वित्त) - सदस्य
3. श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक - सदस्य

20.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं के लिये, सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से

Name	Board Meetings	Audit Committee Meetings
1. Shri Sushil Kumar Lohani (DIN-06912948)	6	-
2. Shri Sushil Pal (DIN-06608642)	6	1
3. Shri Vijay Ranjan Singh (DIN-06386038)	3	1
4. Shri S. Anandan (DIN-03599697)	-	-
5. Shri D.P. Srivastava (DIN-06433221)	1	-

19.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act 1956, a new section 292A i.e. “Audit Committee” has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee has been reconstituted by the Board by circulation on 22.09.2016 comprising of the following Directors:

1. Shri D.P. Srivastava, Director - Chairman
2. Shri Prabhas Kumar, Director (Fin). - Member
3. Shri Anilkumar V. Patil, Director - Member

20.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the



उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा निगम के कर्मचारियों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors and to the employees of the Company for their valued cooperation and support.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-

स्थान : नई दिल्ली

(प्रभास कुमार)

दिनांक : 22.09.2016

निदेशक (वित्त)

(डीआईएन-07578042)

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Prabhas Kumar)

Director (Finance)

(DIN-07578042)



निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 04.10.2016 की संशोधित रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कंपनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Revised Report Dated 04.10.2016) and Explanations of the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2016 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

2. Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of M/s The Fertilizer Corporation of India Limited ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

2. वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है तथा अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखा मानकों के

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

अन्तर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकपूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

2. Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो बातें अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित था, का पालन किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया में धनराशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों को उजागर करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट पूर्ण हो अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिये कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित है। इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन के प्रभाव के बारे में कि लेखापरीक्षा कार्य में कंपनी के निदेशकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमे विश्वास है कि लेखा परीक्षण के लिये जो प्रमाण हमने प्राप्त किये हैं उसके आधार पर वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा करके मत बनाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

4. अर्हक (क्वालीफाइड) मत के लिये आधार

- कम्पनी की वस्तुसूचियों को तुलन पत्र में 3971.67 लाख रूपये दिखाया गया है और प्रबंधन ने वस्तुसूचियों को कम से कम कीमत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर नहीं दर्शाया है, लेकिन वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किये बिना सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की वस्तुसूचियों को मूल्य का 25 प्रतिशत दर्शाया गया है। तैयार माल की वस्तुसूचियों पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य स्टोर्स, ल्यूबीकैंट तथा मैडिकल स्टोर्स के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है केवल प्लैटिनम को छोड़कर जो कि लागू लेखा मानक 2 “वस्तुसूचियों का मूल्यांकन”, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े।

उपर्युक्त व्यवहार का घटन/बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अधिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

4. Basis for Qualified Opinion

1. The Company inventories are carried in the Balance Sheet at Rs. 3971.67 (in lakhs) and the Management has not stated the inventories at lower of cost and net realisable value but has stated the inventory of raw materials, stores & spares at 25% of the cost without ascertaining the net realizable value of the inventories and 100% provision has been taken for inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts, consumable stores, lubricants and medical stores except Platinum which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 2 “Valuation of Inventories” notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on profit & other related accounts could not be ascertained.

2. 'परिसम्पत्ति में क्षति' के संबंध में, परिसम्पत्ति में क्षति से हानि को बहीमूल्य का 95 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है और यह निश्चित किये बिना कि मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति का काबाड़/वसूली योग्य मूल्य कितना होगा, अवशिष्ट मूल्य को बहीमूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया गया है और कैपिटल स्टोर्स के लिये क्षति से हानि को परिसम्पत्ति के बहीमूल्य के 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

2. In respect of 'Impairment of Assets', impairment loss has been provided at 95% of the book value of tangible fixed assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the tangible fixed assets and for capital stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

The consequential impact of the above treatment due to excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, प्रबंधन द्वारा पहचान नहीं किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और वर्ष में उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/प्रत्यक्ष उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का, वस्तुसूचि में घटत/बढ़त के कारण और लाभ तथा अन्य संबंधित लेखों पर बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

3. Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year has not been identified by the management. As per information provided, inventory godowns at the Company's Units remained sealed throughout the year and neither their physical inventory was done nor their realizable value was ascertained during the year and the valuation has been

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

adopted as it was in previous year without considering their market value/physical availability.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess of inventory and change in market value of inventory on profit and other related accounts could not be ascertained.

4. तलचर और रामागुण्डम एकक में भूमि और प्लान्टेशन को छोड़कर कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों का सक्रिय उपयोग से मुक्त कर दिया गया है और निपटान के लिये रख दिया है। इनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन कराया गया है और इसके कारण तलचर एकक को निवल अर्जन/प्रभाव 1922.41 लाख रूपये (पिछले वर्ष 2062.04 लाख रूपये)(निवल का मूल्य हास) और रामागुण्डम एकक को 883.29 लाख रूपये (पिछले वर्ष 921.19 लाख रूपये)(निवल का मूल्यहास) को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लिया गया है (संदर्भ टिप्पणी एफ 8) यह लागू लेखा मानक ए एस 10 “स्थायी परिसम्पत्तियों का लेखांकन” से निकासी को निर्धारित करता है जो कि बताता है कि इन्हें निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के न्यूनतम स्तर पर दर्शाया जाये। आगे, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार पुनर्मूल्यांकित स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्यहास को लाभ हानि विवरणिका में सम्मिलित होना चाहिए था लेकिन पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण कम्पनी ने सीधे परिसम्पत्तियों के बढ़े मूल्य पर मूल्यहास लगाया है। कम्पनी ने इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ ए क्यू) के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि बिकी/निपटान के लिये रखी हैं को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है-संशोधित अनुसूची VI और स्थायी परिसम्पत्ति में लगातार दर्शाया गया है।

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

उपर्युक्त व्यवहार का पुनर्मूल्यांकित स्थायी परिसम्पत्तियों पर बढ़े हुये मूल्यहास के कारण सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को और निपटान के लिये रखी गयी परिसम्पत्तियों के निवल बही मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव पर पुनर्मूल्यांकन के कारण लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. The Company fixed assets except land and plantation at Talcher and Ramagundam Units have been retired from active use and are held for disposal. These had been re-valued during the financial year ended 31st March 2015 and the resultant net gain/effect of Rs. 1922.41 Lakhs(Previous Year Rs. 2062.04 lakhs)(net of depreciation) for Talcher Unit and Rs. 883.29Lakhs(Previous Year Rs. 921.19 lakhs)(net of depreciation) for Ramagundam Unit had been taken to Revaluation Reserve in Balance Sheet. (Refer Note F.8). The same constitutes a departure from applicable Accounting Standard AS 10 “Accounting for Fixed Assets” which states that these should be stated at the lower of their net book value and net realisable value. Further as per Schedule III of the Companies Act, 2013 the depreciation on the re-valued fixed assets needs to be charged off in the Statement of Profit and Loss but the Company has directly charged depreciation on increased value of fixed assets due to revaluation to the Revaluation Reserve. The Company has not classified fixed assets held for sale/ disposal as current assets as per the Institute of Chartered Accountants Frequently Asked Questions (FAQs) –

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

Revised Schedule VI and continue to show the same under fixed assets.

The consequential impact of the above treatment due to increased depreciation on revalued fixed assets directly to Revaluation Reserve and impact due to revaluation at market price instead of net book value of fixed assets held for disposal on profit and other related accounts could not be ascertained.

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इस वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास के लिये कम्पोनेन्ट लेखांकन अनिवार्य हो गया है। कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण नहीं किया है।

लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण न करने के कारण परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

5. During the year, the component accounting for depreciation of fixed assets has become mandatory as per Companies Act, 2013. The Company has not followed the mandatorily component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

6. जैसा कि टिप्पणी 1 (एफ)(३) में संदर्भित है, पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया सहित ट्रेड

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारियों, ट्रेड देय तथा अन्यों के संबंध में पुष्टि नहीं हुई है।

पुष्टि न होने के कारण और अंतर की मात्रा, यदि कोई हो तो, के कारण और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

- No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balance receivable from PDIL as referred in Note 1 (F) (3).

The consequential impact of non confirmation and the quantum of differences if any, and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.

- कम्पनी, सेवा प्राप्त करने वालों को चालान भेजकर अनिवार्य रूप से सेवा कर जमा करने की अपेक्षा सेवा प्राप्त करने वालों से भुगतान प्राप्त हो जाने के पश्चात सेवा कर लगातार नकद आधार पर अर्थात उपार्जन आधार पर जमा कर रही है। कम्पनी ने देरी से जमा किये गये सेवा कर पर देय ब्याज का प्रावधान नहीं किया है और सेवा कर को नकद आधार में जमा किया है।

देय ब्याज कितना होगा और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

- The Company continues to deposit service tax on receipt of payment from service receiver i.e. on cash basis instead of

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

mandatorily depositing on raising of invoice to service receiver i.e. on accrual basis. The Company has not made provision of interest payable on delayed deposit of service tax by following cash basis of depositing service tax.

The consequential impact of quantum of interest payable and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.

8. ऊपर पैराग्राफ 1 से 7 तक पर हमारी टिप्पणी पर संचयी प्रभाव के संबंध में अधिनिश्चित नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन ने कम्पनी के 31 मार्च 2016 तक के वर्ष के लिये लाभ और परिसम्पत्तियों और देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।
8. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 7 above is not ascertainable as the management has not made estimates of their effect on profit for the year and assets and liabilities of the Company as on 31st March, 2016.

5. अर्हक (क्वालीफाइड) मत

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार आर्हक मत के लिये आधार में ऊपर पैराग्राफ 1 से 7 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, को छोड़ कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार माँगी गयी जानकारी और 31 मार्च 2016 तक कम्पनी के कार्यकलापों का, उसके लाभ और नकद प्रवाह विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हैं।

यह लेखों को तैयार करने पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का मत है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are the opinion of Statutory Auditors as per the basis of preparation of accounts. Hence no reply is called for.

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 3 तक 'आर्हक मत के लिये आधार' में वर्णित विषय पर पूर्व लेखा परीक्षकों ने भी कम्पनी के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये अपने दिनांक 12.10.2015 के रिपोर्ट के द्वारा क्वालीफाई किया था।

5. Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 7 stated above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2016, its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

The matter described in basis of qualified opinion in para 1 to 3 above were also qualified by the predecessor auditors vide their report dated 12.10.2015 on the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2015.

6. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट, जो लागू हो, एक विवरणिका दे रहे हैं।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

6. Report on other legal and regulatory requirements

- 1) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the annexure "A" a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है और उसी के अनुरूप कार्यवाही की है और उसका कम्पनी के वित्तीय विवरण के लेखों पर प्रभाव पड़ेगा-संदर्भ संलग्न अनुसूची 'ग' व 'घ'।
- 2) As required by section 143(5) of the Act, we have considered the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the company –Refer Annexure "C" & "D" attached.
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की माँग के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि-
- 3) As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order). No reply is called for in this para.

यह धारा 143 (3) के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग की जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। (क से झ (iii))।

These are a reporting requirements for the auditors under section 143 (3) and therefore replies are not called for (A to I (iii)).



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जॉचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

घ. अर्हक मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय के संभावित प्रभाव को छोड़कर और इसे छोड़कर कि कम्पनी ने बीमांकक (एक्यूरियल) आधार की अपेक्षा सेवानिवृत्ति के लिये वास्तविक आधार पर प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मैथड से प्रावधान किया है जो कि लागू लेखा मानक 15 'कर्मचारियों को हितलाभ' से डिपार्चर को कान्सट्रीट्यूट करता है



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

इसे अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े और लेखा मानक 15 'कर्मचारियों को हितलाभ' के अनुसार आवश्यक प्रकटन को वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है। हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े, के अनुसार है।

- d) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph and except that the Company has made provision for retirement on actual basis instead on actuarial basis on Projected Unit Credit Method which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 15 "Employee Benefits" notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and no mandatorily disclosures as per Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' has been given in the financial statements, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
- ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफइड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- e) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company;



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

च. केन्द्र सरकार के अधिसूचना संख्या : जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5.6.2015 के अनुसार कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) कि 'कोई निदेशक' निदेशक नियुक्त होने के अयोग्य है, कम्पनी पर लागू नहीं होती।

f) The Company being a Government Company, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding 'whether any director is disqualified from being appointed as a director' is not applicable to the Company in view of Central Government Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05-06-2015;

छ. लेखों तथा अन्य संबंधित विषय के रखरखाव के क्वालीफिकेशन के संबंध में क्वालीफाइड मत के लिये आधार उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित है।

g) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matter connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;

ज. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट को संदर्भित।

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure "B"; and

झ. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा कर दिया है। संदर्भ वित्तीय विवरण का नोट-16.
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 16 to the financial statements;
 - ii. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरेवोटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
 - iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.



**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के दिनांक 04.10.2016 के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क' तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण
Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report Dated 04.10.2016 and Explanations of
the Company.**

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

1.क) कम्पनी ने निपटान के लिए रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरो सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है। केवल कुछ एककों/प्रभागों को छोड़ कर, जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों के कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुए हैं।

i.(a) The Company has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including fixed assets retired and held for disposal except in some Units/Divisions where for certain items of fixed assets, particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some Units/Divisions, fixed asset records have not been updated.

ख) स्थायी परिसम्पत्तियों और उन स्थायी परिसम्पत्तियों का जो उपयोग मे नहीं है और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(b) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

use and held for disposal has not been carried out for all the Units except for fixed assets at central office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units.

ग) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं।

(c) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However the following land or quarters included in tangible fixed assets, as per the company, are not in its name:

क.) तलचर में, 7780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

a) At Talcher, 7780 Acres of land which is physically in the possession of company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same remains to be executed.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

ख) पुनरुद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच.डब्ल्यू.पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन इसे प्रभावी रूप नहीं दिया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।

b) 202 quarters has been given to Heavy Water plant (HWP) in exchange of quarters of 344 subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided.

ii. इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया हैं। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियाँ ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियों, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ii. The physical verification of inventory was not conducted during the year. The Company Units are closed and inventories are held in lock-in-key. In the absence of physical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

iii. हमें दी गई जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जॉच के आधार पर संरक्षित रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम के अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियों के सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के पैराग्राफ 3 (iii)(क), 3(iii)(ख) और 3(iii) (ग) के आदेश लागू नहीं होते।

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

iii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the paragraphs 3 (iii)(a), 3 (iii)(b) and 3 (iii)(c) of the order are not applicable.

iv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण, गारंटी और सैक्यूरिटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है। कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी, अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के उपलब्ध प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड में इक्विटी शेयर में निवेश किया है।

iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any loans, guarantees and security during the year which is covered under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013. The Company has made investment in equity share in Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd during the year which is in compliance with the applicable provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.

v. प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 (v) का आदेश लागू नहीं होता।

v. According to the information and explanations provided by the management, we are of the opinion that the Company has not accepted any deposits from public covered under section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed there under. Accordingly, the paragraph 3(v) of the order is not applicable.

vi. जैसा कि कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और इस वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

vii. Since all the Units of the Company are closed and there was no production during the preceding financial year, thus as per provisions of The Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

vii.क)हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वेट, सेस तथा अन्य

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल इस बात को छोड़ कर कि कम्पनी पार्टियो से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन के आधार पर सेवा कर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर के बारे में संकलित की जानी है, राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

vii.a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that the Company is depositing service tax with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on accrual basis as per provisions of service tax. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of service tax, the amount and period of delay could not be reported.

हमें दी गई जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2016 तक कोई अविवादात्मक देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर,

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुए है, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:- (पृष्ठ 54 पर देखें)

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable except the following:- (Please see on page 54)



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2016 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धातों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है तथा अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखा मानकों के अन्तर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिस्मृतियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के

AUDITORS' REPORT

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of M/s The Fertilizer Corporation of India Limited ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have



प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो बातें अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित था, का पालन किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया में धनराशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों को उजागर करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट पूर्ण हो अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिये कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित है। इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन के प्रभाव के बारे में कि लेखापरीक्षा कार्य में कंपनी के निदेशकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमे विश्वास है कि लेखा परीक्षण के लिये जो प्रमाण हमने प्राप्त किये हैं उसके आधार पर वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा करके मत बनाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अर्हक (क्वालीफाइड) मत के लिये आधार

- कंपनी की वस्तुसूचियों को तुलन पत्र में 3971.67 लाख रूपये दिखाया गया है और प्रबंधन ने वस्तुसूचियों को कम से कम कीमत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर नहीं

taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

- The Company inventories are carried in the Balance Sheet at Rs. 3971.67 (in lakhs) and the Management has not stated the inventories at lower of cost and net realisable value but

दर्शाया है, लेकिन वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किये बिना सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की वस्तुसूचियों को मूल्य का 25 प्रतिशत दर्शाया गया है। तैयार माल की वस्तुसूचियों, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य स्टोर्स, ल्यूबीकैंट तथा मैडिकल स्टोर्स के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है केवल प्लैटिनम को छोड़कर जो कि लागू लेखा मानक 2 “वस्तुसूचियों का मूल्यांकन,” अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े।

उपर्युक्त व्यवहार का घटत/बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

- ‘परिस्पत्ति में छति’ के संबंध में, परिस्पत्ति में छति से हानि को बहीमूल्य का 95 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है और यह निश्चित किये बिना कि मूर्त स्थायी परिस्पत्ति का कबाड़/वसूली योग्य मूल्य कितना होगा, अवशिष्ट मूल्य को बहीमूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया गया है और कैपिटल स्टोर्स के लिये छति से हानि को परिस्पत्ति के बहीमूल्य के 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का बढ़त के प्रावधान के कारण लाभ में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

- चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, प्रबंधन द्वारा पहचान नहीं किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और वर्ष में उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/प्रत्यक्ष उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

has stated the inventory of raw materials, stores & spares at 25% of the cost without ascertaining the net realizable value of the inventories and 100% provision has been taken for inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts, consumable stores, lubricants and medical stores except Platinum which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 2 “Valuation of Inventories” notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

- In respect of ‘Impairment of Assets’, impairment loss has been provided at 95% of the book value of tangible fixed assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the tangible fixed assets and for capital stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

The consequential impact of the above treatment due to excess provisions on profit and other related accounts could not be ascertained.

- Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year has not been identified by the management. As per information provided, inventory godowns at the Company's Units remained sealed throughout the year and neither their physical inventory was done nor their realizable value was ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/physical availability.



उपर्युक्त व्यवहार का, वस्तुसूची में घटत/बढ़त के कारण और लाभ तथा अन्य संबंधित लेखों पर बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. तलचर और रामागुण्डम एकक में भूमि और प्लान्टेशन को छोड़कर कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को सक्रिय उपयोग से मुक्त कर दिया गया है और निपटान के लिये रख दिया है। इनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन कराया गया है और इसके कारण तलचर एकक को निवल अर्जन/प्रभाव 1922.41 लाख रूपये (पिछले वर्ष 2062.04 लाख रूपये) (निवल का मूल्य हास) और रामागुण्डम एकक को 883.29 लाख रूपये (पिछले वर्ष 921.19 लाख रूपये) (निवल का मूल्यहास) को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लिया गया है (संदर्भ टिप्पणी एफ 8) यह लागू लेखा मानक ए एस 10 “स्थायी परिसम्पत्तियों का लेखांकन” से निकासी को निर्धारित करता है जो कि बताता है कि इन्हें निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के न्यूनतम स्तर पर दर्शाया जाये। आगे, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार पुनर्मूल्यांकित स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्यहास को लाभ हानि विवरणिका में सम्मिलित होना चाहिए था लेकिन पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण कम्पनी ने सीधे परिसम्पत्तियों के बढ़े मूल्य पर मूल्यहास लगाया है। कम्पनी ने इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फ़ीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ ए क्यू) के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि बिक्री/निपटान के लिये रखी हैं को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है—संशोधित अनुसूची VI और स्थायी परिसम्पत्ति में लगातार दर्शाया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का पुनर्मूल्यांकित स्थायी परिसम्पत्तियों पर बढ़े हुये मूल्यहास के कारण सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को और निपटान के लिये रखी गयी परिसम्पत्तियों के निवल बही मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव पर पूनर्मूल्यांकन के कारण लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

The consequential impact of the above treatment due to short/excess of inventory and change in market value of inventory on profit and other related accounts could not be ascertained.

4. The Company fixed assets except land and plantation at Talcher and Ramagundam Units have been retired from active use and are held for disposal. These had been re-valued during the financial year ended 31st March 2015 and the resultant net gain/effect of Rs. 1922.41 Lakhs (Previous Year Rs. 2062.04 lakhs) (net of depreciation) for Talcher Unit and Rs. 883.29 Lakhs (Previous Year Rs. 921.19 lakhs) (net of depreciation) for Ramagundam Unit had been taken to Revaluation Reserve in Balance Sheet. (Refer Note F.8). The same constitutes a departure from applicable Accounting Standard AS 10 “Accounting for Fixed Assets” which states that these should be stated at the lower of their net book value and net realisable value. Further as per Schedule III of the Companies Act, 2013 the depreciation on the re-valued fixed assets needs to be charged off in the Statement of Profit and Loss but the Company has directly charged depreciation on increased value of fixed assets due to revaluation to the Revaluation Reserve. The Company has not classified fixed assets held for sale/disposal as current assets as per the Institute of Chartered Accountants Frequently Asked Questions (FAQs) – Revised Schedule VI and continue to show the same under fixed assets.

The consequential impact of the above treatment due to increased depreciation on revalued fixed assets directly to Revaluation Reserve and impact due to revaluation at market price instead of net book value of fixed assets held for disposal on profit and other related accounts could not be ascertained.

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इस वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास के लिये कम्पोनेन्ट लेखांकन अनिवार्य हो गया है। कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण नहीं किया है।

लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास के लिये अनिवार्य कम्पोनेन्ट लेखांकन का अनुसरण न करने के कारण परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

6. जैसा कि टिप्पणी 1 (एफ)(3) में संदर्भित है, पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया सहित ट्रेड प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारियों, ट्रेड देय तथा अन्यों के संबंध में पुष्टि नहीं हुई है।

पुष्टि न होने के कारण और अंतर की मात्रा, यदि कोई हो तो, के कारण और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

7. कम्पनी, सेवा प्राप्त करने वालों को चालान भेजकर अनिवार्य रूप से सेवा कर जमा करने की अपेक्षा सेवा प्राप्त करने वालों से भुगतान प्राप्त हो जाने के पश्चात सेवा कर लगातार नकद आधार पर अर्थात उपार्जन आधार पर जमा कर रहीं हैं। कम्पनी ने देरी से जमा किये गये सेवा कर पर देय ब्याज का प्रावधान नहीं किया है और सेवा कर को नकद आधार में जमा किया है।

देय ब्याज कितना होगा और लाभ और अन्य संबंधित लेखों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

8. ऊपर पैराग्राफ 1 से 7 तक पर हमारी टिप्पणी पर संचयी प्रभाव के संबंध में अभिनिश्चित नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन ने कम्पनी के 31 मार्च 2016 तक के वर्ष के लिये लाभ और परिसम्पत्तियों और देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

5. During the year, the component accounting for depreciation of fixed assets has become mandatory as per Companies Act, 2013. The Company has not followed the mandatorily component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

6. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balance receivable from PDIL as referred in Note 1 (F) (3).

The consequential impact of non confirmation and the quantum of differences if any, and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.

7. The Company continues to deposit service tax on receipt of payment from service receiver i.e. on cash basis instead of mandatorily depositing on raising of invoice to service receiver i.e. on accrual basis. The Company has not made provision of interest payable on delayed deposit of service tax by following cash basis of depositing service tax.

The consequential impact of quantum of interest payable and the extent of its effect on profit and other related accounts could not be ascertained.

8. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 7 above is not ascertainable as the management has not made estimates of their effect on profit for the year and assets and liabilities of the Company as on 31st March, 2016.



अर्हक (क्वालीफाइड) मत

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार अर्हक मत के लिये आधार में ऊपर पैराग्राफ 1 से 7 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, को छोड़ कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार माँगी गयी जानकारी और 31 मार्च 2016 तक कम्पनी के कार्यकलापों का, उसके लाभ और नकद प्रवाह विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 3 तक 'अर्हक मत के लिये आधार' में वर्णित विषय पर पूर्व लेखा परीक्षकों ने भी कम्पनी के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये अपने दिनांक 12.10.2015 के रिपोर्ट के द्वारा क्वालीफाई किया था।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट, जो लागू हो, एक विवरणिका दे रहे हैं।
- अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है और उसी के अनुरूप कार्यवाही की है और उसका कम्पनी के वित्तीय विवरण के लेखों पर प्रभाव पड़ेगा-संदर्भ: संलग्न अनुसूची 'ग' व 'घ'।
- अधिनियम की धारा 143 (3) की मॉग के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि-
 - हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 7 stated above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2016, its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

The matter described in basis of qualified opinion in para 1 to 3 above were also qualified by the predecessor auditors vide their report dated 12.10.2015 on the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2015.

Report on other legal and regulatory requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the Annexure "A" a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- As required by section 143(5) of the Act, we have considered the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the company –Refer Annexure "C" & "D" attached.
- As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - We have sought and obtained all the information and explanations which to the best

लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जॉचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ. अर्हक मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय के संभावित प्रभाव को छोड़कर और इसे छोड़कर कि कम्पनी ने बीमांकक (एक्यूरियल) आधार की अपेक्षा सेवानिवृत्ति के लिये वास्तविक आधार पर प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मैथड से प्रावधान किया है जो कि लागू लेखा मानक 15 'कर्मचारियों को हितलाभ' से डिपार्चर को कान्सट्रीट्यूट करता है इसे अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े और लेखा मानक 15 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसार आवश्यक प्रकटन को वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है। हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े, के अनुसार है।

ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाइड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

च. केन्द्र सरकार के अधिसूचना संख्या : जीएसआर 463(ई) दिनांक 5.6.2015 के अनुसार कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2)

of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph and except that the Company has made provision for retirement on actual basis instead on actuarial basis on Projected Unit Credit Method which constitutes a departure from applicable Accounting Standard 15 "Employee Benefits" notified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and no mandatorily disclosures as per Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' has been given in the financial statements, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

e) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company;

f) The Company being a Government Company, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding 'whether any Director is disqualified from being appointed as a Director' is not



कि 'कोई निदेशक' निदेशक नियुक्त होने के अयोग्य है, कम्पनी पर लागू नहीं होती।

छ. लेखों तथा अन्य संबंधित विषय के खबरखाव के क्वालीफिकेशन के संबंध में क्वालीफाइड मत के लिये आधार उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित है।

ज. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट को संदर्भित।

झ. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा कर दिया है। संदर्भ वित्तीय विवरण का नोट-16.
- कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।
- कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

कृते मैं एस.पी. पुरी एण्ड कं.,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001152एन
ह०/-
(बलदेव राज)
भागीदार

सदस्यता सं : 088493

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2016

applicable to the Company in view of Central Government Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05.06.2015;

- The qualification relating to the maintenance of accounts and other matter connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;
- With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure "B"; and
- With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 16 to the financial statements;
 - The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
 - There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For M/s. S.P. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001152N

Sd/-
(Baldev Raj)
Partner
Membership No.088493

Place : New Delhi
Date : 04.10.2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के सदस्यों को प्रस्तुत स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- 1.क) कम्पनी ने निपटान के लिए रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरो सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों के कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुए हैं।
- ख) स्थायी परिसम्पत्तियों और उन स्थायी परिसम्पत्तियों का जो उपयोग मे नहीं है और निपटान के लिये है, का भौतिक सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- ग) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं:
- क) तलचर में, 7780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

Annexure "A" to the Independent Auditor's Report

The Annexure referred to in our Independent Auditor's Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended 31st March, 2016, we report that :

- i.(a) The Company has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including fixed assets retired and held for disposal except in some Units/Division where for certain items of fixed assets, particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some Units/Division, fixed asset records have not been updated.
- (b) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active use and held for disposal has not been carried out for all the Units except for fixed assets at Central Office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units.
- (c) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However the following land or quarters included in tangible fixed assets as per the company are not in its name:
 - a) At Talcher, 7780 Acres of land which is physically in the possession of company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same remains to be executed.



ख) पुनरुद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच. डब्लू.पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन इसे प्रभावी रूप नहीं दिया गया है।

ii. इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियाँ ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जाँच के आधार पर संरक्षित रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के पैराग्राफ 3 (iii)(क), 3(iii)(ख) और 3(iii) (ग) के आदेश लागू नहीं होते।

iv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण, गारंटी और सैक्यूरिटी नहीं दिया है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है। कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी, अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के उपलब्ध प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड में इक्विटी शेयर में निवेश किया है।

v. प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 (v) का आदेश लागू नहीं होता।

b) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of quarters of 344 subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided.

ii. The physical verification of inventory was not conducted during the year. The Company Units are closed and inventories are held in lock-in-key. In the absence of physical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

iii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the paragraphs 3 (iii)(a), 3 (iii)(b) and 3 (iii)(c) of the order are not applicable.

iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any loans, guarantees and security during the year which is covered under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013. The Company has made investment in equity share in Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd during the year which is in compliance with the applicable provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.

v. According to the information and explanations provided by the management, we are of the opinion that the Company has not accepted any deposits from public covered under section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed there under. Accordingly, the paragraph 3(v) of the order is not applicable.

vi. जैसा कि कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और इस वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं हैं।

vii.क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद संविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वेट, सेस तथा अन्य संविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल इस बात को छोड़ कर कि कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा कर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर के बारे में संकलित की जानी है, राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2016 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छ: महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

vi. Since all the Units of the Company are closed and there was no production during the preceding financial year, thus as per provisions of The Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

vii.a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that the Company is depositing service tax with Central Government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on accrual basis as per provisions of service tax. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of service tax, the amount and period of delay could not be reported.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable except the following:



सांविधिक का नाम Name of statutes	देयता का प्रकार Nature of due	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs. in Lakhs)	अवधि Period	नियत दिनांक Due date	जमा करने का दिनांक Date of deposit	टिप्पणी Remarks
वित्त अधिनियम 94 Finance Act 94	सेवा कर (सिन्दरी) Service tax (Sindri)	2.01 2.01	पुराना बकाया Old outstanding	उपलब्ध नहीं N.A	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	सेवा कर का प्रावधान पिछले वर्षों में किया गया है। Provision of service tax made in earlier years
वित्त अधिनियम 94 Finance Act 94	सेवा कर (सिन्दरी) Service tax (Sindri)	1.60 1.60	अगस्त 2015 Aug 2015	सितम्बर 2015 Sept 2015	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	प्रोद्भवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया Service tax on accrual unpaid
वित्त अधिनियम 94 Finance Act 94	सेवा कर (सिन्दरी) Service tax (Sindri)	1.39 1.39	सितम्बर Sept	अक्टूबर 2015 Oct 2015	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	प्रोद्भवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया Service tax on accrual unpaid
उत्पाद अधिनियम 1944 Excise Act 1944	उत्पाद शुल्क (रामागुण्डम) Excise duty (RMG)	5.89 5.89	1995-96	—	27 जुलाई 2016 27th July 2016	उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया Excise duty unpaid
नगर निगम Nagar Nigam	सम्पति कर (गोरखपुर) Property tax (GRK)	16.12 16.12	2013-14 तक Upto 2013-14	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
नगर निगम Nagar Nigam	सम्पति कर (गोरखपुर) Property tax (GRK)	1.75 1.75	2014-15	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	



नगर निगम Nagar Nigam	सम्पत्ति कर (गोरखपुर) Property tax (GRK)	1.75 1.75	2015-16 2015-16	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	5.09 5.09	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	580.00 580.00	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chhattisgarh Nagarpalika Act 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	5.34 5.34	2014-15 2014-15	मार्च 2015 March 2015	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chhattisgarh Nagarpalika Act 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	5.34 5.34	2015-16 2015-16		अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
म0प्र0 सरकार वन संवृद्धि प्रतिपूर्ति M.P. Govt. Forest Growth Compensation	प्रतिपूर्ति (कोरबा) Compensation (Korba)	8.66 8.66	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
स्थानीय प्राधिकरण (कोरबा) Local Authority (Korba)	भूमि राजस्व Land Revenue	3.52 3.52	2002-03 2002-03	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	



नोएडा प्राधिकरण Noida Authority	जुर्माना प्रभार Penal charges	34.20	पुराना Old	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
नोएडा प्राधिकरण Noida Authority	जुर्माना प्रभार Penal charges	21.19	पुराना Old	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	

एन.ए. का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

ख) हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के हमारे जांच के आधार पर, आयकर, विक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वैट को कोई बकाया नहीं है जो कि विवादस्पद होने के कारण जमा न किया गया है, केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

b) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the books of account, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise and value added tax which have not been deposited on account of any dispute except the followings :

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देयता का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख) Amount (Rs. in Lakhs)	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है। Period to which amount relates	फोरम जहाँ विवाद लांबित है Forum where dispute is pending
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर की माँग Income Tax demand	414657.92 414657.92	निर्धारण वर्ष 2013-14 A.Y. 13-14	आय कर आयुक्त (अपील)-11, नई दिल्ली The Commissioner of Income Tax (Appeal)-11, New Delhi
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर की माँग Income Tax demand	588.21 588.21	निर्धारण वर्ष 2012-13 A.Y. 12-13	आय कर आयुक्त (अपील)-11, नई दिल्ली The Commissioner of Income Tax (Appeals)-11 New Delhi



आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर की माँग Income Tax demand	213616.77 213616.77	निर्धारण वर्ष 2009-10 A.Y. 09-10	आय कर आयुक्त (अपील) 11, नई दिल्ली के निदेश पर निर्धारण अधिकारी Assessing officer on direction of the Commissioner of Income Tax (Appeals) -11 New Delhi
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर की माँग Income Tax demand	1750.12 1750.12	निर्धारण वर्ष 2011-12 A.Y. 11-12	आय कर आयुक्त (अपील) 11, नई दिल्ली के निदेश पर निर्धारण अधिकारी Assessing officer on direction of The Commissioner of Income Tax (Appeals) -11 New Delhi
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act 1961	विदेशी तकनीशियन पर आय कर की माँग Income Tax Demand on Foreign Technician	19.14 19.14	उपलब्ध नहीं N.A.	दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 Excise Act 1994	उत्पाद शुल्क Excise Duty	164.53 164.53	उपलब्ध नहीं N.A	उत्पाद शुल्क आयुक्त (पटना) Commissioner of Excise (Patna)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 Excise Act 1994	उत्पाद शुल्क Excise Duty	107.70 107.70	2004-05 2004-05	सीईएसटीएटी, कोलकता CESTAT, Kolkata
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 Excise Act 1994	उत्पाद शुल्क Excise Duty	208.13 208.13	2004 2004	सीईएसटीएटी, कोलकता CESTAT, Kolkata
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 Excise Act 1994	उत्पाद शुल्क Excise Duty	25.64 25.64	उपलब्ध नहीं N.A	उत्पाद शुल्क आयुक्त, रांची Comm. Excise (Ranchi)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 Excise Act 1994	उत्पाद शुल्क Excise Duty	17.28 17.28	उपलब्ध नहीं N.A	उत्पाद शुल्क आयुक्त, रांची Comm. Excise (Ranchi)
उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 Excise Act 1994	उत्पाद शुल्क Excise Duty	24.00 24.00	2011 2011	नया दावा Fresh Claim



उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 Excise Act 1994	उत्पाद शुल्क Excise Duty	1.13	2011	नया दावा Fresh Claim
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.41 0.41	1979-80 1979-80	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.32 0.32	1981-82 1981-82	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) Sales Tax (Marketing)	24.89 24.89	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर सहायक आयुक्त, पटना Asstt. Comm. of Sales Tax, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) Sales Tax (Marketing)	24.00 24.00	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर सहायक आयुक्त, पटना Asstt. Comm. of Sales Tax, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.42 5.42	1983-84 1983-84	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	1.73 1.73	1985-86 1985-86	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	5.08 5.08	1987-88 1987-88	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.14 0.14	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.38 0.38	1991-92 1991-92	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	54.93 54.93	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	6.47 6.47	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.99 0.99	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.09 0.09	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.91 0.91	1992-93 1992-93	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	74.38 74.38	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.37 5.37	1992-93 1992-93	सीसीसीटी, रांची CCCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.13 0.13	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	2.85 2.85	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	75.87 75.87	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.37 29.37	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	61.02 61.02	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	104.03 104.03	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.93 0.93	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.05 15.05	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	6.08 6.08	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	26.71 26.71	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.50 1.50	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	2.56 2.56	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	8.83 8.83	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	12.89 12.89	1996-97 1996-97	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.72 1.72	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	13.42 13.42	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.48 0.48	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.63 0.63	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	25.91 25.91	1998-99 1998-99	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.90 0.90	1998-99 1998-99	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.30 29.30	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	45.50 45.50	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.27 0.27	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	667.23 667.23	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	462.25 462.25	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	102.65 102.65	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	94.95 94.95	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	304.36 304.36	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	4.67 4.67	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.08 5.08	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	55.89 55.89	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	38.98 38.98	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.56 15.56	2003-04 2003-04	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	57.76 57.76	1993-94 1993-94	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	एफपीएस मदों पर बिक्री कर का भुगतान न करने पर उप आयुक्त (बिक्री कर) के दावे Claims of Dy. Commissioner (Sales Tax) for non-payment of Sales Tax on FPS Items	5.00 5.00	1993-94 1993-94	सीरीटी, पटना CCT, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तालचर) Sales tax (Talchar)	1.12 1.12	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astt. Com. of Sales Tax, Cuttack, Odisha
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तालचर) Sales tax (Talchar)	1.15 1.15	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astt. Com. of Sales Tax, Cuttack, Odisha

एन ए का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A means : Not available

viii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं, बैंक, सरकार से डिबेन्चर धारकों का या ऋण या उधार से संबंधित देयता बकाया नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (viii) लागू नहीं होता।

ix. वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव सहित ऋण इन्स्ट्रूमेंट और मियादी ऋण के द्वारा कम्पनी ने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं होता।

x. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा या कम्पनी के ऊपर इसके अधिकारियों द्वारा छल को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया।

xi. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उसके निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रावधान नहीं किया गया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(xi) लागू नहीं होता।

xii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी

viii. According to the information and explanations given to us by the management, the Company did not have any outstanding dues in respect of debenture holders or loans or borrowings from financial institution, bank, and Government during the year. Therefore the paragraph 3(viii) of the order is not applicable.

ix. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer including debt instruments and term loans during the year. Therefore the paragraph 3(ix) of the order is not applicable.

x. According to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

xi. No managerial remuneration has been paid or provided by the Company to its Directors during the year. Therefore the paragraph 3(xi) of the order is not applicable.

xii. In our opinion and according to the information



निधि कम्पनी नहीं हैं। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता।

xiii. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन, जहाँ लागू हो, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इस प्रकार के लेन-देन का ब्यौरा, जैसा कि लागू लेखा मानक की माँग है, के अनुसार वित्तीय विवरण में वर्णित किया गया है।

xiv. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने कोई अधिमानी आबंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चरो का प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xiv) लागू नहीं होता।

xv. हमें दी गयी जानकारी एंव स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी, निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों से नकदी रहित लेन-देन में प्रविष्ट नहीं हुई है जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित हैं। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं होता।

xvi. कम्पनी का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 के धारा 45आई ए में पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं हैं। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi) लागू नहीं होता।

कृते मै0 एस.पी.पुरी एण्ड कं0,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 001152एन
ह0/-
(बलदेव राज)
भागीदार
सदस्यता सं: 088493

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 04, 2016

and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the order is not applicable.

xiii. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

xiv. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the order is not applicable.

xv. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with Directors or persons connected with him as referred to in section 192 of the Companies Act, 2013. Accordingly, paragraph 3(xv) of the order is not applicable.

xvi. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, paragraph 3(xvi) of the order is not applicable.

For M/s. S. P. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001152N
Sd/-
(Baldev Raj)
Partner
Membership No. 088493

Place : New Delhi
Dated : October 04, 2016



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'
Annexure "B" to the Independent Auditor's Report

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

हमें, दि फार्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के 31 मार्च 2016 तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षा के लिये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के रूप में नियुक्त किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णन के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के लिये आवश्यक घटक मानते हुये वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिये कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो कि अपने व्यवसाय को व्यवस्थित और कुशलता से संचालित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसके साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी की नीतियों के साथ लगाव, उसके परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करना, गलतियों और छल-कपट को पकड़ना और रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड में परिशुद्धता और पूर्णता बनाये रखना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारियों को तैयार करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर

We were engaged to audit the internal financial controls over financial reporting of The Fertilizer Corporation of India Limited ("the Company") as of 31st March, 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit conducted in



आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किये गये लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) और लेखा परीक्षा के मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर, जिस सीमा तक लागू हो, अपना मत प्रकट करना है।

नीचे के पैराग्राफ, डिस्क्लेमर आफ ओपीनियन में वर्णन के अनुसार हम कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षा के लिये मत का आधार बनाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये साधारणतः मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार डिजाइन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और पद्धतियाँ सम्मिलित हैं जो कि (1) परिसम्पत्ति के रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित है और उचित व्यौरा सहित लेन-देन और प्रवृत्ति को परिशुद्ध और उचित रूप में दर्शता है। (2) और जो उचित विश्वसनीयता को बनाता है कि लेन-देन का रिकार्ड बनाया गया है जैसा कि साधारणतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है और कम्पनी की प्रपत्तियाँ एवं खर्चे केवल कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्रधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं और (3) अनधिकृत अर्जन, उपयोग, रोकथाम या समय रहते पता लगाने के संबंध में या कम्पनी की परिसम्पत्ति की प्रवृत्ति का पता लगाना जिसका वित्तीय विवरण में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में उचित विश्वसनीयता को बनाना।

डिस्क्लेमर आफ ओपीनियन

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अंगों पर आधरित या उस पर

accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, to the extent applicable to the audit of internal financial controls, both issued by Institute of Chartered Accountants of India.

Because of the matter described in Disclaimer of Opinion paragraph below, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on internal financial controls system over financial reporting of the Company.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Disclaimer of Opinion

According to the information and explanation given to us, the Company has not established its internal



विचार करते हुये इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् आफ इण्डिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के मार्गदर्शन नोट में वर्णन के अनुसार कम्पनी ने अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इस कारण हम अपने मत के लिये आधार बनाने के लिये पूर्ण और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि कम्पनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और कि इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2016 तक प्रभावी रूप से काम कर रहा है।

हमने, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् आफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक के अनुसार जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत वर्णित है, दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की जिसमें मार्च 31, 2016 तक के तुलन पत्र और संबंधित लाभ-हानि विवरण तथा उसी वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा अन्य स्पष्ट की गई जानकारियों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण के प्रकार, समय तथा लेखा परीक्षा के सीमा का निर्धारण करने के लिये हमने उपरोक्त रिपोर्ट में की गई डिस्क्लेमर को ध्यान में रखा है और डिस्क्लेमर ने कम्पनी के वित्तीय विवरण पर हमारे मत को प्रभावित किया है विशेषकर प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों और स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन न किये जाने के कारण ट्रेड प्राप्ति योग्य, ट्रेड भुगतान योग्य तथा अन्य के बकाया की पुष्टि को प्राप्त न करने के कारण और वित्तीय विवरण पर हमने क्वालीफाइड मत दे दिया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 04, 2016

financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion whether the Company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2016.

We also have audited, in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited, which comprise of Balance Sheet as at March 31, 2016 and the related Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the financial statements of the Company, and the disclaimer has affected our opinion on the financial statements of the Company specially due to physical verification of inventory and fixed assets not conducted by the management during the year and non-obtaining of balance confirmation in respect of trade receivables, trade payables and others and we have issued a qualified opinion on the financial statements.

For M/s. S. P. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001152N
Sd/-
(Baldev Raj)
Partner
Membership No. 088493

कृते मैं० एस.पी.पुरी एण्ड कं०,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: ००११५२एन
ह०/-
(बलदेव राज)
भागीदार
सदस्यता सं: ०८८४९३

Place : New Delhi
Dated : October 04, 2016



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'
Annexure "C" to the Independent Auditor's Report

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 (5) के अंतर्गत निर्देशों का उत्तर।

Replies to the Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 क्या कम्पनी के पास स्वामित्व पर और पट्टे पर भूमि का क्रमशः पूर्ण स्वामित्व/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो वह स्वामित्व वाली और पट्टे पर उपलब्ध क्षेत्र बतायें जिसके लिये स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।

कम्पनी के स्थायी सम्पत्ति के स्वामित्व की प्रमाण सहित उपलब्ध कराई गई सभी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि सभी अचल सम्पत्ति कम्पनी के नाम पर हैं। निम्नलिखित मूर्त भूमि या क्वार्टर, कम्पनी के अनुसार, उनके नाम पर नहीं हैं:

- क) तलचर में 7780 एकड़ भूमि जो कि कम्पनी के कब्जे में हैं, राजस्व रिकार्ड में पंजीयन के संबंध में औपचारिकता अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस संबंध में अभी अनुबंध होना बाकी हैं।
- ख) हैवी वाटर प्लांट (एच.डब्ल्यू.पी.) को पुनरुज्जीवन के फैसले को देखते हुये 344 क्वार्टर के बदले में 202 क्वार्टर दिये गये हैं लेकिन इस अदला-बदली को प्रभावित नहीं किया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।

Q.1 Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?

In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However the following tangible land or quarters as per the company are not in its name:

- a) At Talcher, 7780 Acres of land which is physically in the possession of company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same remains to be executed.

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

<p>प्र.2 क्या कोई मामला छोड़ने/ऋण की माफी/ऋण/ब्याज आदि का हैं? यदि हैं तो उसका कारण और फैसी हुई राशि।</p>	<p>b) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of quarters of 344 subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided.</p>
<p>Q.2 Whether there are any cases of waiver/write-off of debts/loans/interest etc. If yes, the reasons thereof and the amount involved?</p>	<p>वर्ष के दौरान कोई मामला छोड़ने/ऋण की माफी/ऋण/ब्याज का नहीं है।</p>
<p>प्र.3 क्या तीसरी पार्टी के पास रखी वस्तुसूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान में प्राप्त परिसम्पत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया हैं?</p>	<p>During the year there was no waiver/write-off of debts/loans/interest.</p>
<p>Q.3 Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities?</p>	<p>कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार तीसरी पार्टी के पास कच्चा माल नहीं रखा है। सरकार से या अन्य प्राधिकरणों से वर्ष के दौरान कोई भी परिसम्पत्ति उपहार के रूप में नहीं प्राप्त हुई है।</p>

कृते मेरे एस.पी.पुरी एण्ड कं, 0
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 001152एन
ह0/-
(बलदेव राज)
भागीदार
सदस्यता सं.: 088493

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 04, 2016

For M/s. S. P. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001152N
Sd/-
(Baldev Raj)
Partner
Membership No. 088493

Place : New Delhi
Dated : October 04, 2016



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 'घ'
Annexure "D" to the Independent Auditor's Report

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सह निर्देशों का उत्तर

Replies to Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 यदि कोई हो तो बताये, अतिक्रमण में भूमि का क्षेत्र अनुलग्नक-घ और इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये कम्पनी द्वारा उठाये गये कदम की संक्षिप्त जानकारी दें।

सिन्दरी एकक को छोड़ कर अन्य किसी एकक में भूमि में अतिक्रमण नहीं है। सिन्दरी एकक में कम्पनी के पास 6653 एकड़ भूमि हैं। कुछ अलग-अलग स्थानों पर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा भूमि को नहीं मापा गया है। हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा भू-भाग होने के कारण और उचित जन-शक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में कम्पनी जिला प्राधिकरणों को सूचित करती रहती है और सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही हैं।

Q.1 State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove encroachments?

There is no encroachment of land in any of the Units except in Sindri Unit. In Sindri Unit the Company has 6653 acres of land. In some scattered places land has been encroached. However the area of land is not measured by the Company. We have been informed that due to the vast area of land and in the absence of adequate manpower, the company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed. The company has kept it informed to the District Authorities and action for removing the encroachment is being initiated under the Public Premises Act.

प्र.2 क्या भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य सब्सिडी को, जैसा कि दावा किया गया है, उचित तरीके से लेखंकित कर लिया गया है?

लेखा परीक्षा अवधि (वित्त वर्ष 2015-16) में भारत सरकार से कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है या प्राप्त करनी है। अतः यह खंड कम्पनी पर लागू नहीं होता है।



प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

Q.2 Whether subsidy received/recoverable from Government of India has been properly accounted for as per claims admitted.

During the audit period (F.Y. 2015-16) no subsidy has been received or recoverable from Government of India, therefore this clause is not applicable to the Company.

कृते मैं ० एस.पी.पुरी एण्ड कॉ०,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: ००११५२एन
ह०/-
(बलदेव राज)
भागीदार
सदस्यता सं: ०८८४९३

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर ०४, २०१६

For M/s. S. P. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001152N
Sd/-
(Baldev Raj)
Partner
Membership No. 088493

Place : New Delhi
Dated : October 04, 2016



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अधिनियम धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 04 अक्टूबर 2016 के संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट या अनुपूरक पर टिप्पणी करने की स्थिति उत्पन्न हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह०/-

(रीना साहा)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : नवम्बर 30, 2016

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की प्रमुख निदेशक
तथा आडिट बोर्ड-II की पदेन सदस्य
कोलकाता



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016.

The preparation of financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 04 October 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors report.

For and of behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(Reena Saha)

Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-II
Kolkata

Place : Kolkata

Dated : The 30th of November, 2016.



तुलन पत्र

(31 मार्च, 2016 को)

BALANCE SHEET

(As at 31st March, 2016)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
इक्विटी एवं देयताएं			
शेयर धारियों की निधियां			
शेयर पूँजी	Share Capital	2	75092.39
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	3	(51807.27)
चालू देयताएं नहीं हैं			
दीर्घ अवधि देयताएं	Long Term Liabilities	4	60.12
ट्रेड देयताएं	Trade Payables	4	-
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises	-	-
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम के अतिरिक्त लेनदारों को बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	8976.02	9422.08
अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	Other Long Term Liabilities	4	4482.88
दीर्घ अवधि प्रावधान	Long Term Provisions	5	1243.35
चालू देयताएं			
ट्रेड देयताएं	Trade Payables	6	-
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises	-	-

(जारी)/Continued



तुलन पत्र (31 मार्च 2016 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31st March, 2016) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
माइक्रो उद्यम और लघु उद्यम के अतिरिक्त लेनदारों को बकाया देयताएं	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	12.87	188.06
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	7	115.30
लघु अवधि प्रावधान	Short Term Provisions	8	452.80
योग	Total	<u>38628.46</u>	<u>38066.74</u>

परिसम्पत्तियाँ

	ASSETS		
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current Assets		
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	Fixed Assets	9	
मूर्त परिसम्पत्तियाँ	Tangible Assets		6281.77
चालू निवेश नहीं	Non-current Investment	10	1.55
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं	Other Non-current Assets	15	2047.81
ऋण एवं अग्रिम	Loan & Advances	12	1182.43
चालू परिसम्पत्तियाँ	Current Assets		
वस्तु सूचियाँ	Inventories	13	1068.38
ट्रेड प्राप्ति योग्य	Trade Receivable	14	2.37
नकद एवं बैंक बकाया	Cash & Bank Balance	11	26783.83
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	12	41.65

(जारी)/Continued



तुलन पत्र (31 मार्च 2016 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31st March, 2016) (Continued)

(लाख रुपये)/ (Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	Other Current Assets	15	1218.67	667.71
योग	Total		38628.46	38066.74

वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ - 1 से 21

Significant accounting policies & Notes on financial statements 1 to 21

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।

The accompanying notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

यह हमारे इसी तिथि को रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र है।

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

हॉ/- (डी.पी. श्रीवास्तव)/(D.P. Srivastva) निदेशक/Director डिन/DIN - 06433221	Sd/- निदेशक/Director डिन/DIN - 06433221	हॉ/- (प्रभास कुमार)/(Prabhas Kumar) निदेशक (वित्त)/Director (Finance) डिन/DIN - 07578042	Sd/- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Chairman & Managing Director डिन/DIN - 06912948
हॉ/- (एस. कोंगारी)/(S. Kongari) सलाहकार/Advisor	Sd/-	हॉ/- (एस. कोंगारी)/(S. Kongari) सलाहकार/Advisor	Sd/-

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. एस.पी. पुरी एण्ड कम्पनी
For M/s. S.P. Puri & Co.
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 001152 एन
Firm Registration No. 001152N

हॉ/-
(बलदेव राज)/(Baldev Raj)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 088493

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 22.09.2016



लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये)

PROFIT & LOSS STATEMENT (For the year ended on 31st March, 2016)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
आय			
प्रचालन से राजस्व	Revenue from operations		Nil
अन्य आय	Other Income	17	2978.81
कुल राजस्व (i)	Total Revenue (i)		2978.81
			1954.23
व्यय			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय मूल्यहास एवं मुक्ति व्यय	Employee benefit expenses	18	92.11
	Depreciation and amortization expenses	9	13.37
वित्त लागत	Finance Cost	19	12.59
अन्य व्यय	Other Expenses	20	1537.30
कुल व्यय (ii)	Total Expenses (ii)		1655.37
			2403.56
विशिष्ट एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (i-ii) अपवाद मद	Profit before exceptional and extraordinary items & tax (i-ii) Exception items		1323.44 (449.33) -
असाधारण मदों के पूर्व एवं कर पर खर्चे असाधारण मद	Profit before extra ordinary items & tax expenses Extra ordinary items		1323.44 (449.33) - 19547.71
कर व्यय:	Tax Expenses:		
वर्तमान कर	Current Tax		458.50
असाधारण समायोजन के पश्चात लाभ/हानि	Profit/Loss after extraordinary adjustments		864.94
			19098.38

(जारी)/Continued



लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

PROFIT & LOSS STATEMENT (for the year ended on 31st March, 2016) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (1000/- रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य) (Face Value Rs. 1000 each):			
(1) मूल (रूपयों में)	(1) Basic (In Rs.)	11.52	254.33
(2) द्रवीय (रूपयों में)	(2) Diluted (In Rs.)	11.52	254.33

वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ - 1 से 21

Significant accounting policies & Notes on financial statements 1 to 21

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखा का अभिन्न भाग हैं।

The accompanying notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss.

ह०/- (डॉ.पी. श्रीवास्तव)/(D.P. Srivastva)	Sd/- निदेशक/Director	ह०/- (प्रभास कुमार)/(Prabhas Kumar)	Sd/- निदेशक (वित्त)/Director (Finance)	ह०/- (सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani)	Sd/- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Chairman & Managing Director
डिन/DIN - 06433221			डिन/DIN - 07578042		डिन/DIN - 06912948
		ह०/- (एस. कोंगारी)/(S. Kongari)			
		सलाहकार/Advisor			

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मैं. एस.पी. पुरी एण्ड कम्पनी

For M/s. S.P. Puri & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 001152 एन

Firm Registration No. 001152N

ह०/- Sd/-

(बलदेव राज)/(Baldev Raj)

भागीदार/Partner

एम.संख्या/M.No. : 088493

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 22.09.2016



अनुसूची-2
शेयर पूँजी
NOTE – 2
SHARE CAPITAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
प्राधिकृत		
8,000,000 इक्विटी शेयर रु. 1000/- के प्रत्येक (गत वर्ष 8,000,000 इक्विटी शेयर)	8,000,000 Equity shares of Rs.1000/-each (Previous Year, 8,000,000 Equity Shares)	80000.00 80000.00
जारी किये गये, अभिदन्त एवं पूर्णतः प्रदत्त	Issued, Subscribed & Fully paid up	
7509239 इक्विटी शेयर रुपये 1000 के पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष 7509239 इक्विटी शेयर)	7509239 Equity shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Previous Year 7509239 Equity Shares)	75092.39 75092.39
		75092.39

क) रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

a) Reconciliation of equity shares outstanding at the beginning and the end of the reporting year.

मिलान

RECONCILIATION

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
संख्या/No. रुपये/Rs. संख्या/No. रुपये/Rs.		
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयर	Share outstanding at the beginning of the year	7509239 75092.39
वर्ष में जारी शेयर	Share issued during the year	- - -
वर्ष में शेयर पीछे लाये गये	Share brought back during the year	- - -
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	Share outstanding at the end of the year	7509239 75092.39



ख) संलग्न इक्विटी शेयर का निबंधन/अधिकार

b) Terms/Right attached equity shares

कम्पनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिसका मूल्य 1000/- रुपये है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक को प्रति शेयर एक मत देने का अधिकार है और लाभांश का अधिकारी है।

The Company has only one class of equity shares having a value of Rs. 1000/-. Each holder of equity share is entitled to one vote per share and entitled to dividend.

कम्पनी के दिवालिया होने की स्थिति में इक्विटी शेयर धारक को और सभी अधिमानी राशि बाँटने के बाद कम्पनी की परिसम्पत्तियों को शेयर धारण अनुपात में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

In the event of liquidation of the Company the holder of equity shares will be entitled to receive asset's of the Company, after distribution of creditors and all preferential amount, in the proportion to their shareholding.

ग) कम्पनी में 5 प्रतिशत शेयर से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण।

C) Detail of shareholders holding more than 5% shares in the company.

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

शेयर धारक का नाम Name of Share Holder	31.03.2016 को As at 31.03.2016		31.03.2015 को As at 31.03.2015	
	शेयरों की संख्या No. of Share	% शेयर % of Share	शेयरों की संख्या No. of Share	% शेयर % of Share
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 1000/- रुपये के इक्विटी शेयर भारत सरकार	Equity Share @ Rs. 1000 each fully paid up Government of India	7509232 99.99%	7509232 99.99%	



अनुसूची-3

आरक्षित एवं अधिशेष

NOTE – 3

RESERVE AND SURPLUS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
क. आरक्षित पूँजी	a. Capital Reserve	75.69	75.69
		<u>75.69</u>	<u>75.69</u>
ख. परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	b. Assets Revaluation Reserve		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार बकाया जोड़ें: परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित घटाएं: लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास अंतिम बकाया	Balance as per the last financial statements Add: Assets revaluation reserve Less: Depreciation on revalued Assets during the year transferred from statement of Profit & Loss	2983.23 Nil (177.53)	- 7022.30 (4039.07)
	Closing Balance	<u>2805.70</u>	<u>2983.23</u>
ग. अन्य आरक्षित (औद्योगिक आवास पर सब्सिडी)	c. Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)		
प्रारम्भिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ें घटाएं: वर्ष के दौरान वापस किया गया अंतिम बकाया	Opening balance Add: Addition during the year Less: Written back during the year Closing Balance	5.92 - - <u>5.92</u>	5.92 - - <u>5.92</u>
घ. लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष/घाटा	d. Surplus/Deficit in Statement of Profit & Loss		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार बकाया जोड़ें: वर्ष में लाभ (हानि) लाभ एवं हानि विवरण में निवल अधिशेष/घाटा योग	Balance as per last Financial Statement Add: Profit (Loss) for the year Net Surplus/Deficit in the Statement of Profit & Loss Total	(55559.52) 864.94 (54694.58) (51807.27)	(74657.90) 19098.38 (55559.52) (52494.68)



अनुसूची- 4

दीर्घ अवधि देयताएँ

NOTE – 4

LONG TERM LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
लेखा पूँजी	Capital Account	60.12	60.12
		<u>60.12</u>	<u>60.12</u>
देट देय	Trade Payables		
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	8976.02	9422.08
		<u>8976.02</u>	<u>9422.08</u>
		<u>8976.02</u>	<u>9422.08</u>
अन्य दीर्घ अवधि देयताएँ	Other long term liabilities		
i) देट एवं अन्य जमा	i) Trade and other deposits	378.62	377.82
ii) प्रतिभूति/बयाना जमा राशि	ii) Security/Earnest money deposit	816.66	384.77
iii) भूतपूर्व कर्मचारी	iii) Ex-Employees	113.02	114.45
iv) भूतपूर्व कर्मचारी (आवास पट्टे पर)	iv) Ex-Employees (Lease accommodation)	1632.24	1984.03
v) सांविधिक देयताएँ व अन्य	v) Statutory liabilities & others	374.12	384.39
vi) सीमा शुल्क	vi) Custom duty	585.09	585.09
vii) अन्य देयताएँ	vii) Other Liabilities	505.92	55.40
viii) कर्मचारी सुख सुविधा निधि	viii) Worker's Amenities Fund	77.21	71.56
		<u>4482.88</u>	<u>3957.51</u>
		<u>13519.02</u>	<u>13439.71</u>



अनुसूची-5

दीर्घ अवधि प्रावधान

NOTE – 5

LONG TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employees's Benefits	-	-
अन्य:	Others:		
i) व्यय के लिये प्रावधान	i) Provision for Expenses	1176.21	1176.21
ii) नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	ii) Penal Interest on NOIDA land	59.66	34.20
iii) नेहरू प्लैस फ्लैट धारक	iii) Nehru Place Flat owners	7.48	7.48
iv) सांविधिक देयताएं एवं अन्य	iv) Statutory liabilities & others	-	52.96
		1243.35	1270.85

अनुसूची-6

देव देय

NOTE – 6

TRADE PAYABLE

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises	-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	-	-
खर्चे पर लेनदार	Creditors for Expenses	4.39	174.47
देय लेखा परीक्षा फीस	Audit fee payable	2.53	2.51
देय किराया	Rent payable	5.40	10.80
देय विद्युत खर्चे	Electricity expenses payable	0.55	0.28
		12.87	188.06
		12.87	188.06



अनुसूची-7

अन्य चालू देयताएं

NOTE – 7

OTHER CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and other deposits	-	1.08
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	75.87	93.94
सार्विधिक देयताएँ एवं अन्य	Statutory liabilities & others	35.86	219.33
कर्मचारियों का वेतन	Salary for employees	2.64	3.96
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	0.93	1.68
		115.30	319.99



अनुसूची-8

लघु अवधि प्रावधान

NOTE – 8

SHORT TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	(a) Provisions for Employees Benefit		
आनुतोषिक (स्ववित्त)	Gratuity (Unfunded)	38.57	48.81
अवकाश नगदीकरण (स्ववित्त)	Leave Encashment (Unfunded)	12.69	15.92
सेवानिवृत्ति (स्ववित्त)	Superannuation (Unfunded)	65.78	100.51
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए., आदि)	Others (VSS-TA, etc.)	3.28	3.29
बोनस	Bonus	0.48	-
(ख) अन्य	(b) Other		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	111.48	81.89
आयकर के लिये प्रावधान (निवल अग्रिम कर तथा टी.डी.एस.)	Provision for Income Tax (Net of advance tax & TDS)	220.52	-
		452.80	250.42



अनुसूची/NOTE-9

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

FIXED ASSETS

(लाख रुपये)/ (Rs. in Lakhs)

	सकल खण्ड / Gross Block				संचयित ग्रुप्पेशन / Accumulated Depreciation						निवाल खण्ड / Net Block	
	01.04.2015 को बकाया Balance as at 01.04.2015	(निपटान) वृद्धि द्वारा युक्त मूल्यांकन/ (छोटी) को बकाया Balance as at 31.03.2016	31.03.2016 को बकाया Balance as at 31.03.2016	01.04.2015 को बकाया Balance as at 01.04.2015	वर्ष में मूल्यांकन ज्ञात Depreciation charged for the Year	पुनर्गूणांकन के पिछले वर्ष के लिए मूल्यांकन Depreciation on revaluation	पुनर्गूणांकन के लिए मूल्यांकन Depreciation for earlier Year	31.03.2016 को बकाया Balance as at 31.03.2016	31.03.2016 को बकाया Balance as at 31.03.2016	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	31.03.2016 को बकाया Balance as at 31.03.2016	
क) निपटान के लिए सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ												
A) Assets retired and held for disposal												
सड़क एवं पुलेया												
Roads & Culverts - FY. भवन	197.34	-	-	-	197.34	187.48	-	-	-	187.48	9.86	9.86
Buildings - FY रेलवे साइडिंग्स	2503.28	-	-	-	2503.28	2374.65	0.01	0.40	-	2375.06	128.63	128.22
Railway Sidings संयंत्र एवं मशीनरी	2480.85	-	-	-	2480.85	2356.81	-	-	-	2356.81	124.04	124.04
Plant and Machinery गैस टरबाइन	50799.51	-	-	-	50799.51	48140.92	-	38.87	-	48179.79	2658.59	2619.72
Gas Turbine जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी	2235.57	-	-	-	2235.57	1624.85	-	43.31	-	1668.16	610.72	567.41
Water System, Sewerage and Drainage - FY विविध उपकरण	1816.69	-	-	-	1816.69	1735.47	0.65	-	-	1736.12	81.22	80.57
Misc. Equipments फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण	352.57	-	-	-	352.57	334.94	-	-	-	334.94	17.63	17.63
Furniture, Fixture and Office Appliances परिवहन गाडिया	278.50	-	-	-	278.50	264.62	-	-	-	264.62	13.88	13.88
Transport Vehicles	38.25	-	-	-	38.25	36.32	-	-	-	36.32	1.93	1.93
	60702.56	-	-	-	60702.56	57056.06	0.66	82.58	-	57139.30	3646.50	3563.26
पूँजीगत सामग्री												
Capital Stores	1610.61	-	-	-	1610.61	1610.61	-	-	-	1610.61	-	-
योग (क) / Total (A)	62313.17	-	-	-	62313.17	58666.67	0.66	82.58	-	58749.91	3646.50	3563.26



अनुसूची/NOTE-9

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (जारी)

FIXED ASSETS (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	सकल खण्ड / Gross Block				संचित मूल्यहास / Accumulated Depreciation						निवल खण्ड / Net Block		
	01.04.2015 को बकाया Balance as at 01.04.2015	(निपटान) दृष्टि Balance as at 01.04.2015	पुनर्मूल्यांकन/ (छूटि) Addition Revaluation/ (Impairment)	31.03.2016 को बकाया Balance as at 31.03.2016	01.04.2015 को बकाया Balance as at 01.04.2015	वर्ष में मूल्यहास Depreciation charged for the Year	पुनर्मूल्यांकन के उपर मूल्यहास Depreciation on revaluation	स्थिर मूल्यहास Depreciation for earlier Year	निपटान के लिए Disposals	31.03.2016 को बकाया Balance as at 31.03.2016	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	31.03.2016 को बकाया Balance as at 31.03.2016	
ख) अन्य परिसम्पत्तियाँ (दाउनशिप सहित)													
B) Other Assets (incl. Township)													
भूमि पट्टे पर*													
Land - Lease Hold*	200.02	-	-	-	200.02	64.79	2.09	-	-	-	66.88	135.23	133.14
भूमि स्वामित्व पर											-	289.89	289.89
Land - Free Hold	289.89	-	-	-	289.89	-	-	-	-	-	-	289.89	289.89
सड़क एवं पुलिया													
Roads & Culverts	269.14	-	-	-	269.14	262.10	-	-	-	-	262.10	7.04	7.04
भवन													
Buildings	4740.28	-	-	-	4740.28	2363.76	7.64	93.38	1.63	-	2466.41	2376.52	2273.87
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी													
Water System, Sewerage and Drainage	443.23	-	-	-	443.23	432.27	0.01	1.57	-	-	433.85	10.96	9.38
विविध उपकरण													
Misc. Equipments	0.91	-	-	-	0.91	0.90	-	-	-	-	0.90	0.01	0.01
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण													
Furniture, Fixture And Office Appliances	1.53	-	2.13	-	3.66	0.51	1.24	-	-	-	1.75	1.02	1.91
संयंत्र एवं मरीनरी (कम्प्यूटर)													
Plant & Machinery (com)	6.58	-	1.98	-	8.56	3.56	1.73	-	-	-	5.29	3.02	3.27
विद्युत उपकरण संस्थापन-टाउनशिप													
Elect. instt. Township	13.17	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	13.17	-	-
योग (ख)/Total (B)	5964.75	-	4.11	-	5968.86	3141.06	12.71	94.95	1.63	-	3250.35	2823.69	2718.51
योग (क + ख)													
Grand Total (A + B)	68277.92	-	4.11	-	68282.03	61807.73	13.37	177.53	1.63	-	62000.26	6470.19	6281.77

* पट्टे पर भूमि 90 वर्ष के लिए पट्टे पर है।

रिहायशी फलैट, दुकानें, रोड आदि सहित परिसम्पत्ति प्रचालन पट्टे पर दी गई है जिसका मूल्य वर्ष में मूल्यहास और वर्ष के अंत में डब्ल्यू डी वी अलग नहीं किये गये हैं।

* Lease hold land is on lease period of 90 years.

Assets including residential flats, shope, road etc. given on operating lease, whose cost, depreciation for the year and WDV at the end of the year is not segregated.



अनुसूची/NOTE-9

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (जारी)

FIXED ASSETS (Continued)

पिछले वर्ष स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची

Previous Year Fixed Assets Note

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड / Gross Block					संचित भूत्यास / Accumulated Depreciation						निवल खण्ड / Net Block		
	01.04.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	(निपटान) वृद्धि (Disposal) Addition	पुनर्मूल्यांकन/ (अंति) Revaluation/ (Impairment)	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	01.04.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	वर्ष में भूत्यास Depreciation as at 01.04.2014	पिछले वर्ष के भूत्यास Depreciation on the Year	पुनर्मूल्यांकन के लिए भूत्यास Depreciation for revaluation	लिए भूत्यास Depreciation for earlier Year	निपटान के लिए भूत्यास Depreciation On Disposals	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	31.03.2014 को बकाया Balance as at 31.03.2014	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	
क) निपटान के लिए सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ														
A) Assets retired and held for disposal														
सड़क एवं पुलिया														
Roads & Culverts - FY. भवन	167.46	-	-	29.88	197.34	159.09	-	28.39	-	-	187.48	8.37	9.86	
Buildings - FY रेलवे साइडिंग्स	1849.11	-	-	654.17	2503.28	1756.66	-	617.99	-	-	2374.65	92.45	128.63	
Railway Sidings संयंत्र एवं मरीनरी	684.14	-	-	1796.71	2480.85	649.93	-	1706.88	-	-	2356.81	34.21	124.04	
Plant and Machinery गैस टर्बाइन	1007.19 (50122.77)	-	-	203.28	50799.51	95683.05	-	74.51	- (47616.64)	48140.92	5035.95	2658.59		
Gas Turbine जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी	1660.15	-	-	575.42	2235.57	1577.15	-	47.70	-	-	1624.85	83.00	610.72	
Water System, Sewerage and Drainage - FY विद्युत उपकरण	1228.11 (178.38)	-	-	766.96	1816.69	1166.70	9.61	728.62	- (169.46)	1735.47	61.41	81.22		
Misc. Equipments फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण	871.82 (519.25)	-	-	352.57	828.23	-	-	-	- (493.29)	334.94	43.59	17.63		
Furniture, Fixture and Office Appliances परिवहन गाड़ियाँ	398.33 (119.83)	-	-	278.50	378.45	0.01	-	-	- (113.84)	264.62	19.88	13.88		
Transport Vehicles	90.82 (52.57)	-	-	38.25	86.27	-	-	-	- (49.95)	36.32	4.55	1.93		
	107668.94 (50992.80)	-	4026.42	60702.56	102285.53	9.62	3204.09	-	- (48443.18)	57056.06	5383.41	3646.50		
पूँजीगत सामग्री														
Capital Stores	1885.33 (274.72)	-	-	1610.61	1885.33	-	-	-	- (274.72)	1610.61	-	-		
योग (क) /Total (A)	109554.27 (51267.52)	-	4026.42	62313.17	104170.86	9.62	3204.09	-	- (48717.90)	58666.67	5383.41	3646.50		



अनुसूची/NOTE-9

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (जारी)

FIXED ASSETS (Continued)

पिछले वर्ष स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची

Previous Year Fixed Assets Note

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड / Gross Block					संचित मूल्यहस / Accumulated Depreciation					निवल खण्ड / Net Block		
	01.04.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	(निपटन) वृद्धि (Disposal) Addition	पुनर्मूल्यांकन/ Revaluation/ (Impairment)	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	01.04.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	वर्ष में मूल्यहस Depreciation charged for the Year	पुनर्मूल्यांकन के उत्तर मूल्यहस Depreciation on revaluation	पिछले वर्ष के लिए मूल्यहस Depreciation for earlier Year	निपटन के लिए On Disposals	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	31.03.2014 को बकाया Balance as at 31.03.2014	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	
ख) अन्य परिसम्पत्तियाँ (दाउनशिप सहित)													
B) Other Assets (incl. Township)													
भूमि पट्टे पर													
Land - Lease Hold	200.02	-	-	-	200.02	63.00	1.79	-	-	-	64.79	137.02	135.23
भूमि स्वामित्व पर													
Land - Free Hold	289.89	-	-	-	289.89	-	-	-	-	-	-	289.89	289.89
सड़क एवं पुलिया													
Roads & Culverts	154.37	-	-	114.77	269.14	130.08	20.75	111.27	-	-	262.10	24.29	7.04
भवन													
Buildings	1906.19	0	-	2834.09	4740.28	1656.68	20.72	686.36	-	-	2363.76	249.51	2376.52
जल प्रणाली, सीधार एवं निकासी													
Water System, Sewerage and Drainage	396.21	-	-	47.02	443.23	394.50	0.41	37.36	-	-	432.27	1.71	10.96
विविध उपकरण													
Misc. Equipments	72.10	(71.19)	-	-	0.91	71.75	-	-	-	(70.85)	0.90	0.35	0.01
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण													
Furniture, Fixture And Office Appliances	24.85	(24.05)	0.73	-	1.53	24.41	0.15	-	-	(24.05)	0.51	0.44	1.02
संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर)													
Plant & Machinery (com)	3.43	-	3.15	-	6.58	1.87	1.69	-	-	-	3.56	1.56	3.02
विद्युत उपकरण संस्थापन-टाउनशिप													
Elect. instt. Township	13.17	-	-	-	13.17	13.16	0.01	-	-	-	13.17	0.01	-
योग (ख) /Total (B)	3060.23	(95.24)	3.88	2995.88	5964.75	2355.45	45.52	834.99	-	(94.90)	3141.06	704.78	2823.69
योग (क + ख)													
Grand Total (A + B)	112614.50 (51362.76)		3.88	7022.30	68277.92	106526.31	55.14	4039.08	- (48812.80)	61807.73	6088.19	6470.19	



अनुसूची-10

निवेश जो चालू नहीं हैं

NOTE – 10

NON CURRENT INVESTMENT

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
दीर्घ अवधि निवेश इक्विटी में निवेश नान-ट्रेड निवेश (अनिवेदित लागत पर)	Long term Investment Investment in Equity Instruments Non-Trade Investments (At cost -unquoted)	
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि0 में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (लागत पर कम प्रावधान अस्थायी डिमीन्यूशन के अतिरिक्त के लिए 0.1 लाख रुपये के मूल्य पर (31 मार्च 2014 : (0.1))	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited (At cost less provision for other than a temporary diminution in value Rs. 0.1 Lakh (31st March, 2014: (0.1))	0.05 0.05
आर.एफ.सी.एल. में पूर्णतः प्रदत्त 10,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/- रुपये के	Fully paid up equity shares 10,000 @Rs.10 each at RFCL	1.00 1.00
राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लि0 में पूर्णतः प्रदत्त 5,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10/- रुपये के	Fully paid up equity shares 5,000 shares @Rs.10 each at Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd.	0.50 - 1.55 1.05
गैर उधृत निवेश का कुल मूल्य निवेश के मूल्य पर डिमूनिशन का एकत्रीकरण	Aggregate value of unquoted Investment Aggregation of diminution in value of investment	1.55 1.05 0.10 0.10



अनुसूची-11

नकद एवं बैंक बकाया

NOTE – 11

CASH & BANK BALANCES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	चालू नहीं/Non Current	चालू/Current		
		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2016 को As at 31.03.2016
नकद एवं नकद के बराबर Cash & Cash Equivalents				
(क) बैंक में शेष	(a) Balance with Banks			
चालू खाता-I	Current Account I	-	-	141.40
				105.94
(ख) नकद हाथ में	(b) Cash on hand	-	-	4.20
				2.46
(ग) अन्य	(c) Others			
चालू खाता-II (सुख-सुविधा राशि)	Current Account II (Amenities Fund)	5.43	5.44	-
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts	5.60	-	64.37
12 माह से अधिक	with original maturity for			64.47
असली परिपक्वता	more than 12 months			
सहित (सुख-सुविधा	(Amenities Fund)			
राशि)				
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts	-	-	25517.39
नो लियन फ्लैक्सी	No lien flexi	-	-	1056.47
जमा खाता	deposit account			1020.25
डाकघर में बचत	Deposits with Post Office	-	-	-
खाते में जमा	Savings Bank			-
जमा (उत्पादशुल्क विभाग	Deposits with (Pledged	38.14	38.14	-
के पास गिरवी)	with Excise Deptt)			-
चालू परिसम्पत्ति नहीं	Amount disclosed under	(49.17)	(43.58)	-
है के अन्तर्गत प्रकट	non- current assets			-
की गई राशि	(refer note.15)			
(संदर्भ नोट 15)				
		-	-	26783.83
				23750.57



अनुसूची-12

ऋण एवं अग्रिम

NOTE – 12

LOANS & ADVANCES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good			
(क) ऋण एवं अग्रिम	(a) Loans & advances			
गृह निर्माण ऋण	House Building Loan	0.31	0.31	-
(ख) अग्रिम:	(b) Advances:			
पूर्तिकर्ता	Suppliers	123.78	123.78	-
कर्मचारी	Employees	3.70	2.81	31.44 2.80
जमा	Deposits	-	8.67	
अन्य	Others	18.20	20.96	3.90 3369.13
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	-	-	6.31 6.32
सरकारी प्राधिकरण/	Deposit with Govt.	648.20	113.73	-
अन्य के पास जमा	Authorities/others			
आय कर एवं टीडीएस	Income tax & TDS	388.24	383.61	-
		1182.43	653.87	41.65 3378.25



अनुसूची-13
वस्तु सूचियाँ
NOTE – 13
INVENTORIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर)	a. Raw Materials (Valued at Cost)	131.21	131.21
घटाएँ : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	98.40	98.40
		<u>32.81</u>	<u>32.81</u>
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर)	b. Packing Materials (Valued at Cost)	33.59	33.59
घटाएँ : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	33.59	33.59
		<u>—</u>	<u>—</u>
ग. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित)	c. Stores & Spares (Valued at Cost)	3806.87	3806.87
मार्गस्थ सामग्री	Goods in transit	45.95	45.95
सामग्री निरीक्षण में	Goods under inspecton	0.27	0.27
घटाएँ : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	<u>2817.52</u>	<u>2817.52</u>
		<u>1035.57</u>	<u>1035.57</u>
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	Scrap (valued at estimated realisable value)	105.12	105.12
घटाएँ : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	<u>105.12</u>	<u>105.12</u>
		<u>—</u>	<u>—</u>
		<u>1068.38</u>	<u>1068.38</u>



अनुसूची-14

व्यापारिक प्राप्ति योग्य

NOTE – 14

TRADE RECEIVABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक समय से बकाया जो प्राप्ति योग्य हैं।	Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment	
सुरक्षित समझे गये	Considered Good	2.37
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	1864.84
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful debts	1864.84
अन्य प्राप्त होने योग्य	Other receivable	-
		2.37
		5.71



अनुसूची-15

अन्य परिसम्पत्तियाँ

NOTE – 15

OTHER ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
असुरक्षित खरे समझे गये जब तक कि व्यक्ति न किया गया हो	Unsecured Considered good unless otherwise stated	-	-	-
बैंक बकाया जो तत्कालीन नहीं है (संदर्भ नोट 11)	Non- current bank balances (refer note 11)	49.17	43.58	-
किराया बकाया-दुकानदार/ पीएसयू/बैंक/स्कूल आदि	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, banks, School etc.	235.17	240.33	27.74
पट्टा किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex employees	57.89	63.17	-
किराया/जल एवं विद्युत प्रभार-पीडीआईएल	Rent/Water & Elec.charges-PDIL	38.78	56.35	-
रेलवे साइडिंग का पट्टा किराया	Lease Rent Railway siding	-	-	109.18
जमा पर उपार्जित ब्याज प्रतिबद्धता फीस (सीआईएल और ईआईएल)	Interest accrued on deposits Commitment fee (CIL & EIL)	0.18 1666.00	1.06 1666.00	1072.74 -
लेखे प्राप्त होने योग्य (एसीसी)	Accounts receivable (ACC)	-	-	9.01
लेखे प्राप्त होने योग्य (एनएफएल)	Accounts receivable (NFL)	0.62	0.62	-
		2047.81	2071.11	1218.67
				667.61
संदिग्ध समझे गये घटाएँ: संदिग्ध अन्य ऋण अग्रिम के लिए प्रावधान	Considered Doubtful Less- Provision for doubtful other loans advances	1119.63 1119.63	1089.40 1089.40	-
		2047.81	2071.11	1218.67
				667.61



अनुसूची-16

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

NOTE – 16

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(लाख रुपये) / (Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
(I) आकस्मिक देयताएं	(I) Contingent Liabilities		
कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है*	Claims against the Company not acknowledged as debt*		
कर संबंधी जो विवाद में हैं, संभावित व्याज सहित, जो कि अपील में है**	Tax matters in dispute under appeal including possible interest**		
बिक्री कर के लिये माँग उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका की अनुमानित राशि	Demand for Sales Tax	2488.60	2760.81
मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय	Demand for Excise Duty/Customs	383.91	383.91
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 13-14**	Estimated amount of contract remaining to be executed	60.26	60.26
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 09-10**	Pending decision of Court/under Arbitration	1421.23	1125.64
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 12-13**	Income Tax demand A.Y. 13-14**	414657.92	-
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 11-12**	Income Tax demand A.Y. 09-10**	213616.78	213616.78
आयकर की मांग विदेशी तकनीसियन	Income Tax demand A.Y. 12-13**	588.21	588.21
कुल आकस्मिक देयताएं	Income Tax demand A.Y. 11-12**	1750.02	-
	Income tax demand foreign technicians	19.14	-
	Total Contingent liabilities	634986.07	218535.61
(II) प्रतिबद्धता	(II) Commitments		
		-	-
		634986.07	218535.61

*सी.आई.टी.(ए) के समक्ष 27 अप्रैल, 2016 को अपील फाइल किया है। *Appeal has filed with (CIT) (A) on 27th April 2016.

**सी.आई.टी.(ए) के समक्ष 22 अप्रैल, 2015 को अपील फाइल किया है। **Appeal has filed with (CIT) (A) on 22nd April 2015.

*कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कानूनी परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं हैं, कार्यवाही में कामयाब होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

* The company is contesting the demands and the Management, including the legal counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

**कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कर परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं हैं, कार्यवाही में कामयाब होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

** The company is contesting the demands and the Management, including the tax counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.



अनुसूची-17

अन्य आय

NOTE – 17

OTHER INCOME

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
ब्याज से आय		
बैंक में जमा	1.72	0.62
लघु अवधि जमा	2292.59	1348.32
लघु अवधि जमा (नो लियन खाता)	-	0.20
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये		
बैंक में जमा	5.27	5.20
घटाएँ : कर्मचारी सुख-सुविधा		
कोष को स्थांतरित	(5.27)	(5.20)
अन्य आय अप्रचलन से		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली	80.84	41.13
पट्टे के आवास के किराये	51.77	54.31
की वसूली		
लाइसेंस फीस की वसूली		
भूमि के किराये की वसूली	125.61	60.43
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस	15.17	18.78
(रेलवे साइडिंग) की वसूली	256.26	137.80
एन.एफ.एल. से प्राप्त मशीनरी		
का पट्टा किराया		
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	-	8.05
अन्य आय		
अन्य लघु आय		
टेंडर फीस की वसूली		
पंखों के लिये वसूली		
प्राप्त किया गया जुर्माना	7.11	12.31
सिलेंडर के किराये से आय	15.03	9.64
प्रावधान नहीं चाहिए	3.72	3.21
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	0.15	0.25
पूर्वआय (संदर्भ नोट 21)	0.06	0.05
बागवानी उत्पाद और सूखी लकड़ी	1.80	0.34
(लम्बी) की बिक्री पर	4.83	4.83
प्रविधान नहीं चाहिए	89.59	50.80
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	Profit on sale of Fixed Assets	202.49
पूर्वआय (संदर्भ नोट 21)	-	-
बागवानी उत्पाद और सूखी लकड़ी	27.23	0.46
(लम्बी) की बिक्री पर	5.33	0.21
	<u>2978.81</u>	<u>1954.23</u>



अनुसूची-18

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

NOTE – 18

EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	77.81	91.37
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	2.89	3.27
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	1.76	1.63
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	7.31	10.10
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	2.34	2.25
		<u>92.11</u>	<u>108.62</u>

अनुसूची-19

वित्तीय लागत

NOTE – 19

FINANCE COSTS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
अन्य व्याज (सेवा कर पर)	Other Interest (on Service tax)	1.45	0.74
अग्रिम कर के देरी से भुगतान पर व्याज	Interest on delayed payment of advance tax	10.60	-
बैंक प्रभार	Bank charges	0.54	0.28
		<u>12.59</u>	<u>1.02</u>



अनुसूची-20

प्रशासनिक व्यय

NOTE – 20

ADMINISTRATIVE EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity Charges & Water	181.06
किराया	Rent	6.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	283.24
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	632.52
बोमा	Insurance	3.75
दर एवं कर	Rates & Taxes	37.94
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to Retainers	83.63
वृत्तिक व्यय	Professional Expenses	55.20
किराये के वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	12.95
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	0.49
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	News papers & periodicals	0.25
गैस्ट हाऊस प्रभार	Guest House Expenses	1.55
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	7.68
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	1.02
नोएडा भूमि पर जुर्माना व्यय	Penal charges of NOIDA land	4.26
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	6.67
यात्रा पर व्यय:	Travelling Expenses:	
निदेशक	Director	2.77
अन्य	Other	18.55
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running expenses on vehicles	2.91
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	0.61
विज्ञापन	Advertisement	44.47
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for Doubtful Debts	30.24
ऋण जो बट्टे खाते डाला गया	Bad Debts written off	-
पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 21)	Prior period expenditure (refer note.21)	52.03
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assets	0.34
पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	Expenditure on rehabilitation study	32.88
अन्य व्यय	Misc. Expenses	31.48
लेखा परीक्षकों को भुगतान	Payment to auditors	
लेखा परीक्षा के रूप में	As auditor	
लेखा परीक्षा फीस	Audit fee	2.35
कर लेखा परीक्षा फीस	Tax Audit fee	0.46
अन्य रूप में	In other capacity	-
		1537.30
		2238.78



अनुसूची-21

पूर्व अवधि मदें

NOTE – 21

PRIOR PERIOD ITEMS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
व्यय		
वेतन एवं भत्ते	Salary and Wages	1.07 6.59
उत्पाद शुल्क/बिक्री कर	Excise duty/Sales Tax	1.79 -
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	- -
मूल्यहास	Depreciation	1.64 -
बिजली एवं ईंधन	Power & Fuel	3.65 -
अन्य व्यय	Other Expenses	43.88 92.18
		52.03 98.77
आय		
अन्य विविध आय	Other Misc. Income	27.23 0.46
		27.23 0.46

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का भाग है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं है।

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुसार सभी पहलुओं का अनुपालन करते हुये, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के पैरा 7 के साथ पढ़े, में अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार बनाये जाते हैं।

एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय के लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

II. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुसार तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान लगाना पड़ता है और कल्पना करना पड़ता है जो कि रिपोर्ट की गई परिस्थितियों और देयताओं और वित्तीय विवरण की तिथि तक की प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies during the year as compared to previous year policies which are being consistently followed.

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Financial Statements are prepared to comply in all material aspects with the applicable accounting principles in India, (Indian GAAP) the notified accounting standards under section 133 of the Companies Act 2013 read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014 and the relevant provision of the Companies Act, 2013.

Accounts have been finalized on the basis of going concern basis after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of Company.

II. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles (GAAP) requires management to make estimates and assumption that effect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the date of financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the



वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। किसी भी लेखांकन अनुमान का पुनरीक्षण का वर्तमान और भविष्यतकाल में मान्य है।

III. राजस्व मान्यता

अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, आय/व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी गई है।

IV. स्थाई परिसम्पत्तियां

- क) स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि निपटान के लिये हैं जिन्हे 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित किया गया है, को छोड़ कर स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।
- ख) परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूर्णता के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है और उपयोग के लिये होता है।
- ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रारंभिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।
- घ) उन मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, जिनका उपयोग अनियमित है तथा एक संयंत्र के साथ जुड़ा है, का पूंजीकरण लेखा मानक-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।
- ड) अमूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।
- च) सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों

year. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

III. REVENUE RECOGNITION

Income / expenditure is recognised on accrual basis under the Historical Cost convention.

IV. FIXED ASSETS

- a) Fixed Assets are stated at Historical Cost except fixed assets held for disposal which have been revalued during the year ended 31st March 2015.
- b) Assets are capitalized after they are certified to be complete and ready for their intended use.
- c) Land given free of cost by State Governments and other authorities is capitalised at cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.
- d) Machinery spares whose use are expected to be irregular and could be identified with the plant are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard – 2 (Revised).
- e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost & expenses could be measured reliably.
- f) Retired Plant and Machinery and other assets are depreciated up to 95% of the

को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य हासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

V. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में घटत को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

VI. मूल्यहास

क. 5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यहासित कर दिया जाता है।

ख. मूल्यहास और परिशोधन स्थायी सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी रहने की दशा के अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है पर यथा अनुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

ग. पट्टे की भूमि पर प्रीमियम को पट्टे की अवधि के पश्चात परिशोधित कर दिया जाता है।

घ. स्थायी परिसम्पत्तियों की बकाया कीमत 5 प्रतिशत रखी जाती है फिर भी जहां स्थायी परिसम्पत्तियों को पहले ही मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्यहास किया जाता है, उसे वैसा ही बनाए रखा जाता है।

VII. वस्तुसूचियां

क) कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, स्टोर्स और स्पेयर्स का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है।

ख) तैयार माल का मूल्यांकन लागत के कम से कम कीमत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

original cost and 5% are shown as residual value.

V. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Declined, other than temporary, in the value of such investment is recognised and provided for.

VI. DEPRECIATION

- a) Fixed Assets costing up to Rs.5000/- are fully depreciated in the year of addition.
-
- b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as specified in Schedule-II to the Companies Act, 2013.
-
- c) Premium on Lease hold land is amortised over the period of lease.
-
- d) Residual value of fixed assets is retained as 5%. However, where fixed asset is already depreciated more than 95% of cost, it is retained as it is.

VII. INVENTORIES

- a) Raw material, Packing material, Store and spares are valued at cost
-
- b) Finished goods is valued at lower of cost and net realisable value.



ग) कबाड़ का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। जो अप्रचलन में हैं उनके मूल्य को या वस्तुसूची के मूल्य में कमी के प्रावधान के पश्चात जहाँ लागू हो, वस्तुसूचियों में दर्शाया गया है।

अप्रचलन में या कम दिखाना

कच्चा माल, स्टोर्स व स्पेयर्स सहित वस्तुसूचियों का वर्तमान मूल्य लागत मूल्य के 25 प्रतिशत पर लिया जाता है केवल इन्हें छोड़ कर:-

क) कोरबा प्लान्ट में मूल्य, लागत मूल्य के 5 प्रतिशत पर लिया जाता है और

ख) सिन्द्री प्लान्ट में उपयोग में न लाया गया 175 लाख रुपये मूल्य का प्लॉटिनियम स्टोर्स में पड़ा है जिसका कम करके प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्लॉटिनियम का बाजार में मूल्य बढ़ने योग्य है।

तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट और उपयोग होने योग्य भंडार ल्यूब्रिकेंट, चिकित्सा भंडार तथा कबाड़ की वस्तुसूचियों को लागत मूल्य के 100 प्रतिशत पर प्रावधान किया गया है।

VIII. कर्मचारी लाभ

i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वी.आर.एस. के विकल्प को अपना चुके कर्मचारियों को आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यन्तिधि में अंशदान, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

c) Scrap is valued at net realisable value. Inventories are shown after providing for cost of obsolescence or depletion in the inventories value, wherever applicable.

Obsolescence or depletion

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost except:-

a) In Korba Plant, the value considered at 5% of the cost and

b) In Sindri Plant, Platinum lying in stores as unconsumed valued at Rs. 175.00 lakh for which no provision made for depletion as Platinum has appreciable value in the market.

Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts and consumable stores, lubricants, medical stores and scrap are provided at 100% of the cost.

VIII. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity for employees opted for VRS, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non monetary benefits like houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे अनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

IX. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

X. तीन वर्ष से अधिक पुराने साधारण प्राप्ति योग्य को संदिग्ध ऋण के रूप में माना और प्रवधान किया जाता है।

XL. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन बेसिक आय की गणना वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है।

XX. लेखों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी के पुनरुज्जीवन के संबंध में सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ सी.सी.ई.ए. के निर्णय के सारांश को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

i. मार्च 2012 तक भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की स्वीकृति। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में लेखों से भारत सरकार के ऋण और

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on accrual basis and charged to Profit & Loss statement.

IX. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs. 25,000 in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

X. Receivables for more than three years old to be treated and provided as doubtful debts.

XI. EARNING PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-I dated 21st May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 9th May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:

i. Approved waiver of GOI loan and interest upto March 2012. Accordingly, the GOI loan and interest have been withdrawn from the



ब्याज को हटा दिया गया है। अतः भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।

- ii. एफ.सी.आई.एल. की निवल पूँजी को धनात्मक बनाने के लिये, पुनरुज्जीवन में भागीदार सार्वजनिक उद्यमों, ई.आई.एल., सी.आई.एल. और सेल की वचनबद्धता फीस के 2500 लाख रुपये एफ.सी.आई.एल. को देने के लिये निदेश देने की स्वीकृति।
- iii. समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई.एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी। ये लेनदार एन.पी.डी.सी.एल., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल. सी.डब्लू.सी., और आई.ओ.सी. हैं।
- iv. मै0 डी.बी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03.2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता को देना और 31.3.2003 से पूर्व लगाये गये ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना।
- v. रामागुण्डम एकक में एन.एफ.एल. और ई.आई.एल. के द्वारा तलचर एकक में गेल, आर.सी.एफ. और सी.आई.एल. के द्वारा और नोमिनेशन विधि से पुनर्जीवन प्रक्रिया पूरी तरह से प्रगति में है।

एफ.सी.आई.एल. को उसके योगदान के मूल्य के बदले में चरणबद्ध रूप से इक्विटी शेयर उस सीमा तक जारी किये जायेंगे कि अन्य पी.एस.यू. इक्विटी पूँजी के लिये नगद में इक्विटी शेयर इस प्रकार से योगदान करेंगे कि एक समय अवधि के पश्चात जे.बी.सी. में एफ.सी.आई.एल. की इक्विटी हिस्सा प्रोजेक्ट के व्यावसायिक उत्पादन होने के समय प्रोजेक्ट के पूँजी व्यय के इक्विटी भाग का 11 प्रतिशत हो जायेगी।

अभी कैबिनेट ने 13.07.2016 को सिन्द्री और गोरखपुर एककों को एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. और आई.ओ.सी. की एस.पी.बी./जे.बी. के द्वारा पुनर्जीवित करने की स्वीकृति दी है। एफ.सी.आई.एल. के चारों एककों/परियोजना को पुनर्जीवित

books in FY 2012-13.

- II. Approved that direction to be given to EIL, CIL & SAIL, and the participating PSUs in the revival to make the payment of Rs 2500.00 Lakh towards commitment fees to FCIL to make the net worth of FCIL Positive.
- III. Approved OTS at 30% of their dues as per FCIL books of accounts, as agreed by them. These creditors are NPDCL, SCCL, BHEL, CWC and IOC.
- IV. The dues of M/s DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31st March 2003 with waiver of any interest or penalty imposed before 31st March 2003.
- V. Presently revival process is in full progress, under nomination route, at Ramagundam Unit by NFL & EIL and at Talcher Unit by GAIL, RCF & CIL.

FCIL shall be issued equity shares against the value of its contribution, in phases, to the extent the other PSUs contribute equity shares towards the equity capital in cash, such that, over a period of time, the equity holding of the FCIL in JVC will be 11% of the equity portion of the capital expenditure of the project at the time of commencement of the commercial production of the project.

Recently, Cabinet has approved on 13.7.2016 the revival of Sindri and Gorakhpur Units by an SPV/JV amongst NTPC, CIL and IOC. FCIL would be provided 11% equity per project in the revival

करने के लिये प्रति परियोजना 11 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जायेगी। बाकी इक्विटी पी.एस.यू. वहन करेंगी।

2. तीनों नामित सरकारी उद्यमों, सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल. द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता फीस की स्थिति

i. एफ.सी.आई.एल. को वचनबद्धता फीस के 833.00 लाख रूपये के भुगतान के संबंध में तीनों कम्पनियों से निवेदन किया गया था।

ii. सी.सी.ई.ए. द्वारा 9.5.2013 के अनुमोदन के अनुसार एफ.सी.आई.एल. ने तीनों सरकारी उद्यमों से वचनबद्धता फीस के भुगतान करने के लिये निवेदन किया था और उसी कारण इस राशि को एफ.सी.आई.एल. के वर्ष 2012-13 के लेखों में प्राप्त योग्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

iii. ई.आई.एल. ने 25.6.2013 को संदेश दिया था कि उनके बोर्ड ने एफ.सी.आई.एल. को वचनबद्धता फीस के 833.00 लाख रूपये देने की स्वीकृति दे दी है। चूँकि अदायगी नहीं हो रही थी अतः सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी. से बात की जिससे ई.आई.एल. पर दबाव डाला जा सके ताकि वह भुगतान कर दे।

एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने ई.आई.एल. के अ.प्र.नि. को 17.4.2014 के पत्र द्वारा अनुर्ती कार्यवाही करने का प्रयास किया है और उसके बाद 15.07.2015 और 9.3.2016 को ई.आई.एल. को स्मरण पत्र भेजा है।

iv. चूँकि सी.आई.एल. से अदायगी नहीं हो रही थी अतः सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव (कोयला) से वचनबद्धता फीस एफ.सी.आई.एल. को भुगतान के लिये बात की जिससे सी.आई.एल. पर दबाव डाला जाये। सलाहकार (कोयला) ने

of the four Units/Projects. Balance equity would be held by the PSUs.

2. Status of commitment fee to be paid by the three nominated PSUs namely SAIL, CIL & EIL

i) As regards to payment of commitment fee by the three PSU's, they were requested to pay Rs. 833.00 Lakh each to FCIL.

ii) FCIL made a request to three PSUs to release the commitment fee as approved by CCEA on 09.05.2013 as the amount has been shown as receivable income in the books of FCI in the annual accounts for the year 2012 -13.

iii) EIL communicated on 26.05.2013 that their Board has approved the payment of Rs.833.00 Lakh to FCIL as commitment fee. Since that payment was not forthcoming, Secretary (F) took up the matter on 7.03.2014 with Secretary MOPNG to impress upon EIL to release the payment.

CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 17.04.2014 to CMD, EIL. Further reminders to EIL on 15.07.2015 & 09.03.2016.

iv) Since payment from CIL was not forthcoming, Secretary (F) took up the matter on 07.03.2014 with Secretary (Coal) to impress upon CIL to pay the commitment fee to FCIL. Advisor (Coal) informed on 13.05.2014 that CIL Board has approved



13.5.2014 को सूचित किया कि सी.आई.एल. बोर्ड ने अपनी 306 वीं बैठक में एफ.सी.आई.एल. को वचनबद्धता फीस के भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है।

एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने अपने दिनांक 17.04.2014 के पत्र द्वारा सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. से अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रयास किया और उसके बाद सी.आई.एल. को 15.07.2015 और 09.03.2016 को स्मरण पत्र भेजा गया है।

निदेशक (वित्त) ने भी 13 जुलाई 2015 को ई.आई.एल. और सी.आई.एल. को तुरन्त भुगतान करने के लिये जोर देते हुये पत्र लिखा है।

इस संबंध में वर्तमान स्थिति यह है कि एफ.सी.आई.एल. द्वारा बारम्बार स्मरण पत्र देने के बाद भी तीनों पी.एस.यू. में से किसी ने भी वचनबद्धता फीस का भुगतान नहीं किया है।

जैसा कि सेल ने सिन्दरी एकक को पुनर्जीवित करने के कार्य को वापस ले लिया है और केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20.5.2015 को सिन्दरी एकक को बिडिंग रूट से पुनर्जीवित करने के लिये अनुमोदन किया है, सेल से मिलने वाले 834.00 लाख रूपये को वर्ष 2014-15 में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वापस ले लिया गया है।

ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूँजीगत चालू कार्य

- कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखण्ड) सरकार से निःशुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, कल्पित मूल्य 14.11 लाख रूपये लगाया गया है।
- कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त 29 एकड़ पूर्ण

the payment of commitment fee to FCIL in their 306th meeting.

CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 17.04.2014 to CMD, CIL and further reminders to CIL on 15.7.2015 and 9.3.2016.

Director (Finance) also wrote to them on 13th July, 2015 impressing upon to EIL & CIL to release the payment at the earliest.

Present status of the matter is that the commitment fee has not been released by any of the PSUs in-spite of repeated reminders given by FCIL.

Rs.834.00 Lakh receivable from SAIL has been withdrawn during the year 2014-15 as approved by the competent authority, as SAIL has been withdrawn from revival of Sindri Unit and Union Cabinet has approved revival of Sindri Unit through “bidding route” on 20.05.2015.

C. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

- Out of total land of 6652.61 acres, 112 acres received from State Govt. of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been normally (notional) valued at Rs. 14.11 Lakh as per guidelines of Department of Public Enterprises.
- Land measuring 907 acres of Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from

स्वामित्व वाली और 7 एकड़ निजी भूमि एफ.सी.आई.एल. द्वारा अर्जित किया गया है। लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 258 एकड़ भूमि कम्पनी/उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ. सी. आई. दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरुज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से 'सुविधा पत्र' माँगा है।

3. सरकार लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।
4. तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू. पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।
5. गोरखपुर एकक में कम्पनी को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान कम्पनी द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 32.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को उपहार स्वरूप दी गयी थी।
6. रामागुण्डम एकक में 1971 से 1989 तक के वर्षों में 1284.04 एकड़ भूमि उपलब्ध/प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से भूमि निःशुल्क प्राप्त हुई है और इसका कल्पित मूल्य 4.59 लाख रुपये है। लोक उद्यम विभाग के दिशा निदेश के अनुसार लेखों में आरक्षित पूँजी के अंतर्गत प्रविष्टि डाल दी गयी है।

the state govt. In addition 29 acres of free hold and 7 acres of private land acquired by FCIL. However, in the year 2005 Govt. of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh Electricity Board without obtaining permission from the company/ DoF. Vide DO NO. 18021/02/2005-FCI Dated 25.11.2011 DOF sought a letter of comfort from the Govt. of Chhattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.

3. As per the guidelines of Government Department of Public Enterprises, land normally (notional) valued at Rs. 18.64 Lakhs received free of cost from Govt. of Orissa was taken into books through capital reserve value.
4. At Talcher Unit, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant in exchange of 344 quarters received from HWP under mutual agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.
5. At Gorakhpur Unit, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to Company 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project out of which 40% of acquisition cost valued at Rs. 21.78 Lakh had been paid to the government by Company and the balance 60% valued at Rs.32.67 Lakh has given to the company.
6. At Ramagundam Unit, 1284.04 acres of land is available / received in various years from 1971 to 1989. The land received from State Govt. is free of cost and notionally valued at Rs.4.59 Lakh. As per guideline of DPE an entry of the same has been passed in the accounts through capital reserve.



7. नोएडा में एफ.सी.आई.एल. को 90 वर्ष के पट्टे पर 24 मई, 1989 को 4261.16 वर्ग मीटर के एक प्लाट का आबंटन किया गया था। यह प्लाट ए-11, सेक्टर-1, नोएडा में है। यह भूमि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है।

8. डी ओ एफ और एम एच ए (गृह मंत्रालय) के बीच हुये दिनांक 5.2.2004 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर एकक में कुछ भवन और मकान सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है को हस्तांतरित किये गये थे। गृह मंत्रालय ने पहले संकेत दिया था कि उन्हें यह सम्पत्ति लम्बी अवधि के लिये नहीं चाहिए और वे इन सम्पत्तियों को खाली कर देंगे। एस.एस.बी. ने गोरखपुर यूनिट को अभी तक नहीं छोड़ा है।

लेकिन, सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 1.10.2015 की हुई बैठक में निम्नालिखित निर्णय लिये गये थे:

क. एस.एस.बी., फर्टिलाइजर कम्पलैक्स, गोरखपुर से प्रशिक्षण संस्थान को स्थायी स्थान पर स्थानांतरित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

ख. अंतरिम अवधि में बोली प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये एस.एस.बी. अपने संस्थान को कम्पलैक्स के उत्तरी भाग में ले जायेगा जहां सौ एकड़ का क्षेत्र है और जहां पर प्रशिक्षण केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिये उचित होगा।

ग. एस.एस.बी., पी.डी.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. की एक संयुक्त टीम एस.एस.बी. संस्थान के लिये व्यवस्था करने के लिये एक पर्खवाडे के अंदर अंतिम योजना बनायेगा जिसके लिये एस.एस.बी. अपने स्थानीय अधिकारी को उचित निदेश जारी करेगा और यह विषय यथापूर्व है।

7. At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of Company.

8. At Gorakhpur Unit, certain building and quarters have been given to Sashastra Seema Bal (SSB) in terms of MOU under Ministry of Home Affairs dated 5.2.2004 between DOF and MHA. MHA had indicated earlier that they would not need these properties on long term basis and they would vacate these properties. The SSB has not yet moved out of Gorakhpur Unit.

However, in the meeting held on 01.10.2015 under the chairmanship of Secretary (Fertilizers) with Director General, Sashastra Seema Bal (SSB). The following decision were taken :

a. SSB will make alternate arrangement for shifting of training institution at fertilizer complex, Gorakhpur to a permanent location.

b. During the interim period, in order to facilitate biding process, SSB will reallocate their establishment to the northern part of the complex within hundred acre compact area which will be sufficient to smoothly run the training centre.

c. A joint team consisting of SSB, PDIL and FCIL will finalize the plan for reallocation of the SSB establishment within a fortnight for which SSB will issue suitable instruction to their local officer and the matter is statue-queue.

घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान

- चालू देयताओं में उन 9 कर्मचारियों के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 120.21 लाख रुपये (पिछले वर्ष 168.53 लाख रुपये) शामिल हैं जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें आवश्यक कार्यों के कारण 31.03.2016 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2016 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।
- विविध लेनदारों में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी.एस.एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है।

ड. निवेश

वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने मैसर्स रामागुण्डम फार्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, रामागुण्डम को 1.00 लाख रुपये का भुगतान कर इक्विटी शेयर में निवेश किया है। और कम्पनी को 10,000 इक्विटी शेयर आवंटित किये गये है लेकिन शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुये है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने 0.50 लाख रुपये राष्ट्रीय कोल गैस फार्टिलाइजर लिमिटेड में निवेश किये हैं और 5000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के प्राप्त हुये हैं जो कि वित्त वर्ष 2015-16 में आर.सी.जी.एफ. द्वारा आवंटित किया गया है।

च. विविध

- निदेशक मंडल की राय में सामान्य व्यापार स्थिति में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।

D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

- Current liability includes an amount of Rs 120.21 Lakh (previous year Rs.168.53 Lakh) in respect of VSS compensation for 09 employees (previous year 13 employees), whose request for VSS has been accepted but they have not been released by 31.03.2016 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2016 will be accounted for after release of these employees.
- Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs. 5.23 Lakh in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947.

E. INVESTMENTS

In the year 2014-15, the Company has made the payment of Rs. 1.00 Lakh for the investments in the Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited, Ramagundam and 10,000 equity shares has been allotted to the Company but share certificates have not been received. During the year and the Company has made investment of Rs.0.50 Lakh in Rashtriya Coal Gas Fertilizer Limited and received 5000 in equity share of @ Rs.10/- which has been allotted by (RCGF) in financial year 2015-16.

F. MISCELLANEOUS

- In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.



2. चूकि कम्पनी में पिछले वित्त वर्ष 2014-15 में उत्पादन प्रचालन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम 2014, दिनांक 31.12.2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 में लागत रिकार्ड को रखना आवश्यक नहीं है।

3.क. ट्रेड से प्राप्त होने योग्य, भूतपूर्व कर्मचारी, ट्रेड देय तथा अन्य के बकाया की पुष्टि नहीं हुई है। यदि लेखा में कोई विसंगति हुई तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

ख. पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया के 38.76 लाख रूपये अप्रैल 2014 से पुष्टि और मिलान होने पर निर्भर करता है। साथ ही सिन्दरी एकक में एफ.सी.आई.एल. की भूमि पर पी.डी.आई.एल. द्वारा कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाये गये थे और इनमें से कुछ स्टाफ क्वार्टर एफ.सी.आई.एल. द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं और पी.डी.आई.एल. को इन क्वार्टरों का देय किराया के विषय में अभी समझौता होना है।

4. बिक्री कर का निर्धारण (उनको छोड़कर जो अपील में लंबित हैं) 2013-14 तक पूरा कर लिया गया है।

5. कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2013-14 तक पूरा कर लिया गया है और निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये अपील प्रथम अपील प्राधिकरण अर्थात् सी.आई.टी. (ए) के समक्ष है निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक के लिये आयकर विभाग ने प्रथम अपील प्राधिकारी के आर्डर पर आई.टी.ए.टी. के पास अपील की है।

6. भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और बी.एस.एस. के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी.आई.एफ. आर. द्वारा जारी दिनांक 17.5.2004 के बन्द करने के संस्तुति के अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी इकाइयाँ अप्रचलन में रही हैं तथा वर्ष में 2. Since, Company did not have manufacturing operation during the financial year 2014-15, i.e., immediate preceding financial year, therefore as per "Companies (Cost Records & Audit) amendment Rules 2014" dated 31.12.2014 the Company is not required to maintain "Cost Records" during the financial year 2015-16.

3.a) Balances of Trade receivable, Ex- employees, Trade payable and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on the account are not ascertainable.

b) Balance of Rs. 38.76 Lakh receivable from PDIL is subject to confirmation and reconciliation since April, 2014. Further in Sindri Unit, certain staff quarters were built by PDIL on the land owned by the FCIL and some of these staff quarters were used by FCIL and the matter of rent payable to PDIL for these quarters is yet to be settled with PDIL.

4. Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to 2013-14.

5. The Corporate Assessment is completed up to assessment year 2013-14 and appeal for the assessment year 2012-13 and 2013-14 are before the 1st Appellate Authority i.e. CIT(A). The Income Tax Department is in appeal against the 1st Appellate Authority order in ITAT for the AY 2002-03 to AY 2011-12.

6. In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, all units

केन्द्रीय कार्यालय को छोड़कर स्थायी परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

7. कोई प्रचलन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।
8. उपयोग में हो सकने वाली परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (भूमि एवं पौधारोपण को छोड़ कर)

तलचर एवं रामगुण्डम एकाकों में स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को वित्तीय लेखों में ले लिया गया है। तलचर और रामगुण्डम एकाकों के उपयोग में हो सकने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2014 में किया गया है। तलचर और रामगुण्डम के स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव 1922.41 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2062.04 लाख रुपये) और 883.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष 921.19 लाख रुपये) (मूल्यहास का निवल) है।

छ. संबंधित पार्टी विवरण

(i) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

- 1) श्री सुशील कुमार लोहानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 01.07.2014 से अब तक।
- 2) श्री सुशील पाल, निदेशक (वित्त), 18.07.2013 से 19.07.2016 तक।
- 3) श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक, 27.8.2012 से 08.09.2016 तक।
- 4) श्री एस. आनन्दन, निदेशक, 08.8.2011 से 14.01.2016 तक।

remained non-operational during the year. Therefore, physical verification of fixed assets & inventories could not be carried out except at Central Office.

- 7 In the absence of any operational activity, the Company has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

8. **Revaluation of Usable Assets (Except Land and Plantation)**

In Talcher and Ramagundam Unit the effect of revaluation of fixed assets in the financial books has taken in the financial year 2014-15. The revaluation of usable fixed assets made by the PDIL in October 2012 and November 2014 for Talcher and Ramagundam Units respectively. The net effect of revaluation of fixed assets is Rs.1922.41 Lakh (Previous year Rs.2062.04 Lakh) and Rs.883.29 Lakh (Previous year Rs. 921.19 Lakh) (Net of Depreciation) for Talcher Unit and Ramagundam Unit.

G. RELATED PARTY DISCLOSURES

(i) Key Management Personnel:

- 1) Shri Sushil Kumar Lohani, Chairman & Managing Director, 01.07.2014 till date.
- 2) Shri Sushil Pal, Director (Finance) 18.07.2013 to 19.07.2016.
- 3) Shri Vijay Ranjan Singh, Director, 27.08.2012 to 08.09.2016.
- 4) Shri S. Anandan, Director, 08.08.2011 to 14.01.2016.



- 5) श्री डी. पी. श्रीवास्तव, निदेशक, 14.01.2016 से अब तक।
- 6) श्री प्रभास कुमार, निदेशक (वित्त), 19.7.2016 से 30.09.2016 तक।
- 7) श्री अनिल कुमार वी.पाटिल, निदेशक, 08.9.2016 से अब तक।

ज. खण्डीय प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है।

झ. आय पर कर

सरकार के निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, इस कारण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ज. प्रति शेयर अर्जन

प्रतिशेयर बेसिक अर्जन जो कि प्रति शेयर अर्जन से संबंधित है को लेखा मानक-20 के अनुसार रिपोर्ट किया गया है जिसकी गणना कर के बाद निवल लाभ को उस अवधि में बकाया कुल भारित औसत शेयर में से विभाजित करके प्राप्त किया गया है जो कि इस प्रकार है:

- 5) Shri D.P. Srivastava, Director, 14.01.2016 till date.
- 6) Shri Prabhas Kumar, Director (Finance), 19.07.2016 to 30.09.2016.
- 7) Shri Anilkumar V. Patil, Director, 08.09.2016 till date.

H. SEGMENT REPORTING

In the absence of any manufacturing operation by the Company during the year or in previous year by, there are no separate segments to be reported.

I. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no virtual certainty of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.

J. EARNING PER SHARE

Basic Earning Per Share has been reported as per Accounting Standard-20 relating to "Earning Per Share", which has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:-



	2015-16	2014-15		2015-16	2014-15
इकिवटी शेयर धारक को देय वर्ष का निवल लाभ (लाख रुपये)	864.94	19098.38	Net profit for the year attributable to Equity shareholder – (Rs.in Lakh)	864.94	19098.38
कुल शेयर	75,09,239	75,09,239	No. of Shares	75,09,239	75,09,239
प्रति शेयर संकेतिक मूल्य (रुपये में)	1000	1000	Nominal Value per share (In Rs.)	1000	1000
प्रति शेयर अर्जन:			Earning per Share :		
मूल (रुपयों में) :	(+) 11.52	(+) 254.33	Basic (In Rs.) :	(+) 11.52	(+) 254.33
द्रवीय (रुपयों में) :	(+) 11.52	(+) 254.33	Diluted (In Rs.) :	(+) 11.52	(+) 254.33

ट. अतिरिक्त सूचनाएँ

	31.3.2016 को	31.3.2015 को
सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
कच्चे माल की खपत	शून्य	शून्य
स्टोर एवं स्पेयर्स की खपत	शून्य	शून्य

ट. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन/वर्गीकृत कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।

K. ADDITIONAL INFORMATION

	As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
Value of Import on CIF basis	Nil	Nil
Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
Raw Materials Consumption	Nil	Nil
Store and Spares Consumption	Nil	Nil

ल. Previous year's figures have been regrouped / re-casted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.



नगद प्रवाह विवरण (1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक के लिये)

CASH FLOW STATEMENT

(For the period from 1st April, 2015 to 31st March, 2016)

(लाख रुपये / (Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
कर से पूर्व निवल लाभ	Net Profit before Tax	1323.44
समायोजन के लिये :	Adjustment for :-	
मूल्यांकन, पूर्व अवधि के	Depreciation including	
मूल्यांकन सहित	depreciation of prior period	15.00
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	12.05
ब्याज से आय	Interest Income	(2294.31)
स्थायी परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ	Profit on sale of fixed assets	-
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provision for bad debts	30.24
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले	Operating profit before	
प्रचालन लाभ	working capital change	(913.58)
कार्यरत पूँजी में गतिविधि	Movements in working capital-	17667.19
ट्रेड देय में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in	
प्रावधान में बढ़त/(घटत)	trade payables	(372.70)
दीर्घ अवधि देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in provisions	(37.11)
अन्य चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) long	(60.11)
ट्रेड प्राप्त होने योग्य में घटत/(बढ़त)	term liabilities	79.31
वस्तुसूचियों में घटत/(बढ़त)	Increase/(decrease) in other	(1154.88)
ऋण एवं अग्रिम में घटत/(बढ़त)	current liabilities	3.89
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं	Decrease/(Increase) in trade	
में घटत/(बढ़त)	receivables	3.34
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in inventories	-
प्रचालन से उपलब्ध की गयी नगदी	Decrease/(Increase) in loans	483.48
घटाएँ : भुगतान किया गया आय कर	and advances	(2041.56)
प्रचालन गतिविधियों (प्रयुक्त) से	Decrease/(Increase) in other	
निवल नगद प्रवाह (क)	current assets	(517.23)
	Cash generated from operations	1004.19
	Less : Income tax paid	(248.58)
	Net cash flow from/(used in)	755.61
	operating activities (A)	



नगद प्रवाह विवरण (1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक के लिये) (जारी)

CASH FLOW STATEMENT (Continued)

(For the period from 1st April, 2015 to 31st March, 2016)

(लाख रुपये / (Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह	Cash flow from investing activities	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त	Proceeds from sale of fixed assets	2752.47
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(3.88)
निवेश जो चालू नहीं है की खरीद	Purchase of non current investment	-
चालू निवेश की खरीद	Purchase of current investment	(1.00)
बैंक जमा में निवेश, निवल को छुड़ाना	Investments in bank deposits net	
(जिनकी मूल परिपक्वता तीन महीने से	of redemption ((having original	
अधिक की है)	maturity of more than	
	three months)	(2959.84)
प्राप्त ब्याज	Interest received	(18857.49)
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल नगद	Net cash flow from/(used in)	(14760.76)
प्रवाह (प्रयुक्त) (ख)	investing activities (B)	_____
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह:	Cash Flow from financing	
ब्याज खर्चे	activities :	
वित्तीय गतिविधियों से निवल	Interest Expenses	(0.74)
नगद प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	Net cash flow from/(used in)	(0.74)
वर्ष के प्रारंभ में नगद और नगद के	financing activities (C)	_____
बराबर निवल बढ़त/(घटत) (क+ख+ग)	Net increase/(decrease) in cash	
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नगद	& cash equivalent (A+B+C)	(142.35)
के बराबर	73.42	
वर्ष के अंत में नकद एवं नगद	Cash & Cash equivalent at	
के बराबर	beginning of the year	1271.00
	Cash & Cash equivalent at the	
	end of the year	1128.65
	1202.07	1128.65
	73.42	(142.35)



नगद प्रवाह विवरण (1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक के लिये) (जारी)

CASH FLOW STATEMENT

(For the period from 1st April, 2015 to 31st March, 2016)

(लाख रुपये/(Rs. in Lakhs)

	31.03.2016 को As at 31.03.2016	31.03.2015 को As at 31.03.2015
नगद प्रवाह विवरण में टिप्पणी नगद एवं नगद के बराबर के भाग	Notes to cash flow statement Components of cash and cash equivalents -	
नगद हाथ में बैंक में बकाया:	Cash on hand 4.20 2.46	
चालू खाता में जमा खाता में	Balance with bank: On current account 141.40 105.94	
कुल नगद एवं नगद के बराबर (नोट 11)	On deposit account 1056.47 1020.25 Total cash and cash equivalents (Note 11) 1202.07 1128.65	

उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण को लेखा मानक-3 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति से बनाया गया है।

The above cash flow statement has been prepared under the indirect method set out in Accounting Standard-3.

यह हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह है।

This is the Cash Flow referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/- (डी.पी. श्रीवास्तव)/(D.P. Srivastva) निदेशक/Director दिन/DIN - 06433221	ह०/- Sd/- (प्रभास कुमार)/(Prabhas Kumar) (सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani) निदेशक (वित्त)/Director (Finance) दिन/DIN - 07578042	ह०/- Sd/- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Chairman & Managing Director दिन/DIN - 06912948
--	--	---

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
सलाहकार/Advisor

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मैं. एस.पी. पुरी एण्ड कम्पनी

M/s. S.P. Puri & Co.
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 001152 एन
Firm Registration No. 001152N

ह०/- Sd/-
(बलदेव राज)/(Baldev Raj)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 088493



Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN as on the financial year ended on 31.03.2016

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN : U74899DL1961GOI003439
- ii) Registration Date : 24.04.1961
- iii) Name of the Company : FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED
- iv) Category/Sub-Category of the Company : Limited by shares - Union Govt. Company
- v) Address of the Registered Office and contact details : 7, Institutional Area, Core III, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
- vi) Whether listed company : No
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any. : Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, IFCI Tower, 4th Floor, Nehru Place, New Delhi-110019.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Urea	ITC Code 31021000 when Plants were in operation	
2	Ammonium Nitrate	ITC Code 31023000 when Plants were in operation	



III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

SL. NO.	NAME AND ADDRESS NO. OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/SUBSIDIARY /ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	Fertilizer Corporation of India Limited	U74899DL 1961GOI003439	Private Company	100% shares held by GOI	Section 3(1) (iii) Companies Act 1956

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
g) Individual/ HUF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
h) Central Govt									
i) State Govt (s)									
j) Bodies Corp.									
k) Banks / FI									
l) Any Other....									
Sub-total									
(A) (1):-									
(2) Foreign									
a) NRIs - Individuals									
b) Other – Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks / FI									
e) Any Other....									
Sub-total									
(A) (2):-									
Total shareholding of Promoter (A) =									
(A)(1)+(A)(2)									
B. Public Shareholding									
1. Institutions									



<p>a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify)</p> <p>Sub-total (B)(1):-</p> <p>2. Non- Institutions</p> <p>a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual share holders holding nominal share capital upto Rs.1 lakh ii) Individual share holders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh c) Others (specify)</p> <p>Sub-total (B)(2):-</p> <p>Total Public Shareholding</p> <p>(B)=(B)(1)+(B)(2)</p> <p>C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs</p> <p>Grand Total (A+B+C)</p>								
	N.A.							



(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year				% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	Share transferred in the name of:	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	S.K. Lohani	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
2	R.S. Yadav	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
3	Neeraj Singhal	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
4.	D.P. Srivastava	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
5.	Sanjay Srivastava	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
6.	Kulwant Rana	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
7.	Kulwant Rana	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014		
8.	President of India	7509232	99.99	Nil		7509239	99.99	Nil	Nil
	Total	7509239	100	Nil		7509239	100	Nil	Nil

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	7509239 of Rs.1000/- each	100%	7509239 of Rs. 1000/- each	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	Please refer Sl. No. ii above shareholding of promoters.			
	At the End of the year				



(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of of the year	Shr. S.K. Lohani C&MD	0.000014		
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	S.K. Lohani	One	0.000014		
	At the beginning of of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year	One	0.000014	One	0.000014



V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year				
· Addition				
· Reduction				
Net Change Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager	Total Amount	
1.	<p>Gross salary</p> <p>(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961</p> <p>(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961</p>	<p>Sh.S.K.Lohani, CMD</p> <p>He is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of CMD of FCIL.</p> <p>Nil</p>	<p>Sh.Sushil Pal, WTD.</p> <p>He is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of Dir. (F) of FCIL</p> <p>Nil</p>	Nil



	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil
2.	Stock Option			
3.	Sweat Equity			
4.	Commission - as % of profit - others, specify...			
5.	Others, please specify			
	Total (A)	-	-	Nil
	Ceiling as per the Act	-	-	Nil

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		---	---	---	
	3. Independent Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (1)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	4. Other Non-Executive Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (B)=(1+2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total Managerial Remuneration	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Overall Ceiling as per the Act	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A



	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A
2.	Stock Option	N.A	N.A	N.A	N.A
3.	Sweat Equity	N.A	N.A	N.A	N.A
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	N.A	N.A	N.A	N.A
5.	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	Nil	Nil	Nil	Nil

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
B. DIRECTORS					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Punishment	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Compounding	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

For & on behalf of the
FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED
Sd/-
(Prabhas Kumar)
Director (Finance)
DIN - 07578042